

अंक 77
वर्ष 2020-21

सागरिका

राजभाषा समर्पित अर्धवार्षिक गृह-पत्रिका

केरल विशेषांक



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एमपीईडीए भवन, पनपिल्ली एवन्यू, डाक पेटी नं 4272

कोच्ची- 682036, भारत



राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

my
GOV
मेरी सरकार

संविधान तथा
राष्ट्रीय प्रतीकों
का सम्मान करें





अमित शाह
गृह मंत्री
भारत

AMITH SHAH
HOME MINISTER
INDIA



माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं ट्वीट कर लिखा

देश में हर साल सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हिन्दी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया 'आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं इसके सशक्तिकरण में योगदान देने वाले सभी महानुभावों को नमन करता हूं और देशवासियों से यह आवाहन भी करता हूं कि अपनी मातृभाषा के साथ-साथ हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर उनके संरक्षण व संवर्धन में अपना योगदान देने का संकल्प लें। हिंदी भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से यह राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम रही है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता और सरलता है। मोदी सरकार की नयी शिक्षा नीति से हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का समांतर विकास होगा। एक देश की पहचान उसकी सीमा व भूगोल से होती है लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा है। भारत की विभिन्न भाषाएं व बोलियां उसकी शक्ति भी हैं और उसकी एकता का प्रतीक भी। सांस्कृतिक व भाषाई विविधता से भरे भारत में 'हिंदी' सदियों से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है

'हिंदी दिवस की शुभकामना'



अनुक्रमणिका

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 09 | केरल | 43 | श्रीमान श्रिम्प |
| 12 | मीठे पानी के जलकृषि के विकास के लिए नर्सरी पालन की आवश्यकता मुख्य रूप से महाराष्ट्र में | 47 | लॉकडाउन के बारे में एक कविता |
| 14 | कोरोना और करो ना | 48 | सत्यनिष्ठा और सरकारी कर्मचारी |
| 15 | कटहल | 52 | केरल के पास सिग्नल मछली की नई प्रजाति की खोज |
| 16 | प्रमाणीकृत चिरस्थाई भारतीय छोटी गरदन वाले क्लाम | 53 | केले के पत्ते में मसालेदार तली हुई मछली (करिमीन) |
| 18 | सारे रिश्ते टूट गए | 54 | चेरत्तला केरल में मेगा सी फूड पार्क |
| 20 | क्यों माँ | 55 | हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2020 |
| 21 | ई-फाइलों में हिन्दी में टिप्पणियाँ लिखने हेतु वाक्य/वाक्यांश | 58 | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस |
| 30 | बारिश की बूँद | 60 | हिन्दी में ए+ ग्रेड प्राप्त एमपीईडीए के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहन |
| 31 | राजभाषा कीर्ति पुरस्कार | 61 | क्या खूब कहा... |
| | | 62 | टेलीविज़न: कितना उपयोगी ? |

सागरिका

राजभाषा समर्पित अर्धवार्षिक गृह-पत्रिका

संरक्षक

श्री के.एस. श्रीनिवास, भा.प्र.से. अध्यक्ष

मार्गदर्शक

श्री के. एस. प्रदीप, भा.व.से. सचिव

संपादक

श्रीमती तुलसी नायर, हिन्दी अधिकारी

उप संपादक

श्रीमती मृणालिनी पी आरेकर, व.हि.अनुवादक

सम्पादन सहयोग

श्रीमती सिंधु ए एस, राजभाषा लिपिक

पत्राचार का पता

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एमपीईडीए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू,
डाक पेटी सं 4272, कोच्ची- 682036, भारत
दूरभाष - 91 - 484 - 2323245
फैक्स - 91 - 484 - 2313361

(इस प्रकाशन में विद्वत्पूर्ण लेखों में उल्लेख किए गए विचार लेखकों के दृष्टिकोण है और एमपीईडीए के विचारों का उससे कोई सरोकार नहीं है। इस प्रकाशन में विद्वत्पूर्ण लेखों में दी गई सूचनाओं की वास्तविकता का उत्तरदायित्व लेखक पर निहित है। उसके लिए न तो एमपीईडीए और न ही संपादक मण्डल उत्तरदाई होंगे।)



संपादक की कलम से

वर्ष 2019 में कोरोना वायरस ने पूरे जन मानस को अपनी चपेट में ले लिया और इसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह बीमारी सबसे पहले 2019 में चीन में देखी गई थी। इसके बाद यह संक्रमण धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इससे ना केवल लोगों की जान गई, बल्कि विश्व भर की आर्थिक स्थिति को भी बहुत नुकसान पहुंचा। हमारा देश सबसे खतरनाक वायरस के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ रहा है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हमने पहले भी ऐसी स्थितियों का सामना बखूबी किया है। सक्षम नेतृत्व के साथ प्रभावी उपाय इस त्रासदी पर विजय पाने और राष्ट्र को समृद्धि के पहियों पर वापस लाने का एकमात्र समाधान है।

विश्व व्यवस्था बदल गई है और वर्तमान में हम अपने सिस्टम सॉल्यूशन और ई ऑफिस के माध्यम से कार्यालयीन और व्यक्तिगत रूप से आपस में एक दूसरे के संपर्क में हैं। ये पहल एमपीईडीए ने बहुत पहले ही प्रारंभ की थी और हमारे सभी कार्यालय सिस्टम उन्मुख हैं। हमारे प्रबंधन की इस दूरदृष्टि ने यह संभव कर दिया है कि हम अभी भी सरकार द्वारा जारी कोविड मानदंडों का पालन करते हुए व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापारियों, कृषकों, उद्यमियों की सेवा करना जारी रखे हुए हैं। इसका श्रेय हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रबंधन के कुशल नेतृत्व एवं उठाए जा रहे समयोचित मार्गदर्शन को जाता है।

इस वर्ष हमने समुद्री खाद्य सेक्टर के लिए हिन्दी में एक कोविड 19 मार्गदर्शिका पुस्तिका एवं एक एनीमेशन फिल्म भी तैयार की है, जो राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रति प्राधिकरण की प्रतिबद्धता का द्योतक है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राधिकरण की हिन्दी गृहपत्रिका 'सागरिका' हमेशा हमारी कई उपलब्धियों, हमारे कार्यकलापों को प्रदर्शित करता है और कुल मिलाकर हमारे सदस्यों और उनके परिवार की भागीदारी को दर्शाता है। हमने अपने विभिन्न विभागों और सदस्यों से विभिन्न लेख और विवरण एकत्र करने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि सागरिका का यह 77 वां अंक आपके लिए दिलचस्प होगा।

कोविड महामारी से यथाशीघ्र निजात पाने और विश्व कल्याण की मंगल कामना करती हूँ।

तुलसी नायर
हिन्दी अधिकारी



केरल विशेषांक

के एस श्रीनिवास, भा प्र से
अध्यक्ष



प्रेरणोक्ति

प्राधिकरण प्रति वर्ष हिन्दी गृह पत्रिका “सागरिका” के प्रकाशन के माध्यम से राजभाषा के प्रचार प्रसार में अनवरत कार्यरत है। संगठन के सभी कर्मचारियों ने सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप, हिन्दी के प्रचार प्रसार में सराहनीय योगदान दिया है। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत सरकार की राजभाषा नीति के शतप्रतिशत अनुपालन केलिए किए जा रहे प्रयास भी सराहनीय हैं। प्राधिकरण को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संस्थापित “राजभाषा कीर्ति पुरस्कार” वर्ष 2019-20 के लिए भी घोषित हुआ, परंतु कोविड महामारी की वजह से यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। यह इस बात का द्योतक है कि प्राधिकरण के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन को बखूबी निभा रहे हैं, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ।

कोविड महामारी से जूझने केलिए समुद्री खाद्य सेक्टर को सक्षम बनाने के प्रयास के रूप में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समुद्री खाद्य सेक्टर केलिए हिन्दी में कोविड 19 मार्गनिर्देश पुस्तिका (33 पृष्ठ) एवं कोविड 19 मार्गनिर्देश पर एक एनीमेशन फिल्म भी तैयार किया गया है।

इस तरह प्राधिकरण द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

मैं “सागरिका” के 77वें अंक के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

के.एस. श्रीनिवास

के एस श्रीनिवास, भा प्र से



डॉ एम कार्तिकेयन एमपीईडीए के नए निदेशक

डॉ एम कार्तिकेयन ने 02.03.2020 को एमपीईडीए के निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। मत्स्यपालन विज्ञान में स्तानकोत्तर डॉ कार्तिकेयन ने मत्स्य प्रसंस्करण में विशेषज्ञता के साथ इस विषय में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। वे पिछले 13 वर्षों से मत्स्यपालन विभाग तमिलनाडु सरकार में सेवारत थे।

उन्हें प्रशासन के अलावा अंतर्देशीय खारे पानी और समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन और जलकृषि का अनुभव है। तमिलनाडु सरकार में शामिल होने से पहले डॉ एम कार्तिकेयन ने 5 वर्षों तक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय त्रिपुरा में संकाय के रूप में कार्य किया।

‘महोदय, प्राधिकरण में आपका हार्दिक स्वागत है।’



श्री के. एस. प्रदीप, भा व से एमपीईडीए के नए सचिव

श्री के एस प्रदीप, ओड़ीशा कैडर (वर्ष 2011 बैच) भारतीय वन सेवा (भा व से) अधिकारी ने 7 जनवरी 2021 को एमपीईडीए के सचिव के रूप में कार्यग्रहण किया। कृषि में स्नातक श्री प्रदीप ने ओएमसी लिमिटेड (ओड़ीशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमि) में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने अथमल्लिक वन प्रभाग, अंगुल जिला, ओड़ीशा के प्रभागीय वन अधिकारी एवं बल्लीगुड़ा वन प्रभाग, कंधामल जिला, ओड़ीशा के प्रभागीय वन अधिकारी के रूप में कार्य किया था।

‘महोदय, प्राधिकरण में आपका हार्दिक स्वागत है।’

केरल

केरल भारत के 28 राज्यों में से एक है तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर 'तिरुवनन्तपुरम' इसकी राजधानी है। मलयालम यहां की मुख्य भाषा है तथा राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। केरल को ऐतिहासिक रूप से 'केरलम' नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत के मलबार तट पर स्थित है। भारत की दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्रि पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट्य के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित चार राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। केरल राज्य भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। बांध, समुद्री किनारे आयुर्वेदिक पर्यटन और उष्णकटिबन्धीय हरियाली इसके मुख्य आकर्षण हैं।



लक्षद्वीप सागर



भारत

संकेत	
—	राज्य सीमा
—	जिला सीमा
■	राज्य मुख्यालय
●	जिला मुख्यालय

केरल का नक्शा

इस प्रांत की लंबी और आपस में जुड़ी हुई झीलों मछलियों और सीपियों के समृद्ध स्रोत हैं। इन झीलों के किनारे नारियल के बाग और धान के खेत इसकी समृद्धि को और बढ़ा देते हैं। केरल के एक ओर भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग-3 है, जो दक्षिण में तिरुवनंतपुरम से लेकर इस प्रांत के कई उत्तरी जिलों तक फैला हुआ है। केरल के आपस में जुड़ी हुई कुछ झीलों में दुनिया की सबसे जोशीली

बनाया जा रहा है। इससे आने वाले कुछ वर्षों में दक्षिणी क्षेत्र में वाणिज्य में वृद्धि होगी। भविष्य में राज्य सरकार द्वारा विषिजम में प्रस्तावित अंतर समुद्र बंदरगाह यदि वास्तविकता बन जाता है तो यह प्रांत पूरे दक्षिण एशिया में एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र बनने की ओर अग्रसित हो जाएगा।

कथकली केरल का सबसे ज्यादा शुद्ध, सबसे वैज्ञानिक और सबसे जटिल नृत्य रूप है। यह नृत्य लोकनृत्य नहीं बल्कि पूरी तरह शास्त्रीय नृत्य है। कलरिपयट्टू 11 वीं सदी का केरल का एक मार्शल आर्ट है। यह कुंग फू और कराटे की तरह एक प्राचीन मार्शल आर्ट माना जाता है। इसका तरीका जापान के जू जित्सु की तरह विशिष्ट और जटिल होता है।

केरल भारत का पहला राज्य है, जिसकी साक्षरता दर 100 प्रतिशत रही है। अंग्रेजी, मलयालम और हिन्दी भाषाएँ राज्य में सिखाई जाती हैं। हालांकि मलयालम राज्य की क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषा है। मलयालम भारत की राजभाषाओं में से एक है।

केरल में पर्यटन एक प्रसिद्ध उद्योग है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसायटी प्रकाशन ने केरल को दुनिया की 50 श्रेष्ठतम जगहों में सूचीबद्ध किया है। केरल में देखने लायक पर्यटन स्थलों में से कुछ इस प्रकार हैं:

- राजधानी तिरुवनंतपुरम शहर मंदिर, मस्जिद और चर्चों का केन्द्र है। यहां कोवलम बीच रिसोर्ट, वेली, नेय्यार बांध और पोन्मुडी देखने लायक जगह है।
- इडुक्की जिले के थेक्कडी में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य एक आकर्षक स्थान है।
- भगवान अयप्पन का निवास स्थान शबरीमला पत्तन्तित्टा जिले का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है।
- केरल का प्रमुख बंदरगाह कोच्चि अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है।
- खूबसूरत विलिंगडन द्वीप और आस पास के बंदरगाह



नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। मसलन- नेहरू ट्रॉफी, उथ्रिष्टादी और आरन्मुला नौका दौड़। कोवलम वर्कला, चेरायी, मुञ्जुप्पिलांगाडु और बेकल के प्रसिद्ध समुद्री तट राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के निकट हैं। यह तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोज़िक्कोड के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और नवनिर्मित कन्नूर हवाई अड्डे से भी संपर्क में हैं। केरल राज्य की आय में 3% योगदान मत्स्य उद्योग का है क्योंकि राज्य का समुद्र-तट 595 किमी. लम्बाई में फैला हुआ है। केरल में छोटे बंदरगाहों की श्रृंखला के साथ लंबे समुद्र तट ने प्रांत में मछली पालन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया। इसके चलते मछली पालन केरल की अर्थव्यवस्था और रोजगार के स्रोत के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुआ है। कोच्चि पोर्ट और कोचीन शिपयार्ड की वजह से कोच्चि को व्यावसायिक गतिविधि का केंद्र बना दिया है। केन्द्र सरकार के अंतर्गत वल्लारपाडम में ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल

यहां का बड़ा आकर्षण है।

- कालड़ी श्री शंकराचार्य का जन्मस्थान है।
- गुरुवायूर में प्रसिद्ध भगवान कृष्ण मंदिर है।
- कलामंडलम त्रिशूर जिले का प्रसिद्ध कथकली नृत्य केंद्र है।
- केरल राज्य में विविध प्रकार के त्यौहार और उत्सव मनाये जाते हैं। ओणम केरल का पारम्परिक त्यौहार है ये त्यौहार फसल के काटने पर मनाया जाता है। क्रिसमस यहाँ का मुख्य ईसाई त्यौहार है, मुस्लिम भाई मिलादे शरीफ, रमजान रोजा, ईद-उल-फितर और बकरीद ये त्यौहार मनाते हैं।

केरल का मुख्य भोजन नारियल, चावल, टैपिओका, और मसाले जैसे काली मिर्च, लोंग, दालचीनी, और अदरक केरल के प्रसिद्ध भोजन में मछली, झींगे, मसल्स, झींगा मछली जैसे कई प्रकार के समुद्री भोजन शामिल हैं। केरल की सबसे ज्यादा अहम बात है नारियल का प्रयोग. इस क्षेत्र में नारियल का तेल, उसका पानी और गरी तीनों चीजों का भरपूर इस्तेमाल होता है. नारियल के तेल में व्यंजन पकते हैं, उसकी गरी की चटनी बनती है तथा व्यंजनों में भी नारियल का इस्तेमाल होता है. सांभर को केरल की पहचान माना जाता है. सांभर वडा, इडली डोसा और अन्य साउथ इंडियन भोजन तो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं.



केरल में कोच्चि चाइनीस फिशिंग नेट के लिए अद्वितीय हैं, और चीन के अलावा केवल यहीं मिलते हैं। मलयालम में इन्हें चीनवला कहा जाता है, और संभवतः चीनी खोजकर्ता झोंग हे इन्हें यहां लाया था। कई मछुआरे इन जालों का उपयोग करके मछली पकड़ कर अपनी आजीविका कमाते हैं, और फोर्ट कोच्चि और वाइपिन के साथ तट का एक पूरा फैलाव वहां नजर आता है। इन जालों के साथ मछुआरों को मछली पकड़ते देखना एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। विशाल झूले की तरह लटके हुए मछली पकड़ने के इन जालों को समुद्र में डाला जाता है और एक निश्चित समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जाल को पानी में डुबाने के लिए मछुआरे को उस पर चलना पड़ता है। उसका वजन नेट को डुबाने के लिए पर्याप्त होता है। बाद में, जब वे मछली से भरे होते हैं, तो मछुआरे उन्हें खींचते हैं। एक बार जब मछली पकड़ी जाती है, तो आपको जो मछली पसंद होती है, उसे चुन कर पका सकते हैं। इसे पकाने के लिए वहां झोंपड़ियां भी मिल जाएंगी। ये मछली पकड़ने के जाल 1350 और 1450 ईस्वी के बीच कोच्चि के तट पर स्थापित किए गए थे।



मीठे पानी के जलकृषि के विकास के लिए नर्सरी पालन की आवश्यकता मुख्य रूप से महाराष्ट्र में

जैसे जलकृषि में विविधता लोकप्रिय हो रही है और सरकार वित्तीय सहायता के साथ केज कल्चर / बायोफ्लोको और आरएएस प्रणाली के लिए सहायता भी दे रही है। तिलपिया और पंगासियस की केज कल्चर में काफी वृद्धि हो रही है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से पिंजरा संवर्धन / बायोफ्लोक या आरएएस प्रणाली और तालाब आधारित ताजे पानी के विविध किस्मों के माध्यम से बढ़ती प्रजातियों के साथ बढ़ते उत्पादन के लिए पिछड़े संपर्क अभी तक नहीं हैं। महाराष्ट्र में अभी भी तिलपिया और पंगासियस बीज के उत्पादन के लिए कोई अनुमोदित हैचरी नहीं है। केज या अभी लोकप्रिय हो रही बायोफ्लोक और आरएएस प्रणाली को बीज सप्लाई/ आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र अभी भी अन्य राज्यों पर निर्भर है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिंजरो का न्यूनतम संग्रहण आकार 50 ग्राम है। प्रत्येक दस स्वीकृत केज बैटरी (1 बैटरी = 6x4x4मी आकार के 24 पिंजरे) के लिए एक लाख - 50 ग्राम मछली के उत्पादन की कम से कम एक नर्सरी की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से वर्तमान में हमारे पास महाराष्ट्र राज्य में कोई भी व्यावसायिक तिलपिया नर्सरी नहीं है।

यदि हम विविध किस्मों के साथ उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हमें पिछड़े संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी हमें लक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। हैचरी की स्थापना के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए, राज्य सरकारों को सिंगल विंडो की मंजूरी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यह देखा गया है कि अनुमोदन के लिए आवेदन के जटिल और विलंबित प्रसंस्करण के कारण ऐसी हैचरी शुरू करने के इच्छुक उद्यमी पीछे आ रहे हैं।

किसी भी प्रकार के जलीय कृषि विकास के लिए, नर्सरी पालन का अपना महत्व है क्योंकि यह आपको लक्षित स्टॉकिंग के समय बीज उपलब्धता, वास्तविक स्टॉकिंग और सुनिश्चित उत्तरजीविता और वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। जलकृषि विकास योजना में अधिकांश समय नर्सरी की स्थापना की उपेक्षा की गई है जो संभावित विविध विकल्पों के धीमे विकास या नकारात्मक प्रभाव की ओर जाता है। जैसा कि केज कल्चर बढ़ रहा है, अनुमति प्राप्त पिंजरे या अन्य कृषि पद्धतियों के लिए बीज की आवश्यकता के अनुसार हैचरी प्रतिष्ठानों के साथ विकासशील क्षेत्रों में नर्सरी की श्रृंखला को भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से छोटे भूमिधारक किसानों को, मत्स्य पालन प्रशिक्षण तथा मछली पालन को लोकप्रिय बनाने वाले संस्थानों द्वारा नर्सरी पालन को बढ़ावा देने और लाभदायक व्यवसाय उद्यम बनाने की गुंजाइश की आवश्यकता है।

नर्सरी निश्चित रूप से उत्पादन में

वृद्धि करेगी क्योंकि पिंजरे या आरएएस किसानों को स्थानीय स्थिति में बीज प्राप्त होगा क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र बीज के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है परिणामतः पर्यावरण और अन्य परिस्थितियां महाराष्ट्र की तुलना में भिन्न हैं। नर्सरी प्रणाली से छोटे भूमि रखने वाले किसानों के लिए कम प्रारंभिक निवेश के साथ स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें नियमित आय प्राप्त होगी। दूसरी ओर जो किसान पिंजरो, बायोफ्लोक और आरएएस प्रणाली के लिए तुलनात्मक रूप से बड़ी राशि का निवेश कर रहे हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर बड़े आकार के बीज प्राप्त होंगे, जिनकी वृद्धि दर और उत्तरजीविता दर अधिक होगी।

नर्सरी की स्थापना के लिए सरकारी एजेंसियों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और टाइम बॉन्ड प्रक्रियाएं, अपने उत्पाद को बेचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल - फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में नर्सरी की स्थापना से किसानों को जलकृषि विकास के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। और इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

मंगेश गावडे
फील्ड पर्यवेक्षक, क्षे प्र पनवेल



कोरोना और करो ना !

बचपन में इतिहास की किताबों में जब पढ़ता था कि "ईसा पूर्व" और "ईसा के बाद" तो लगता था कि केवल एक व्यक्ति के आगमन पर सब घटनाओं को विभाजित कर दिया है। भारत की घटनाओं को भी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद ऐसा ही लिखा गया है। तब लगता था क्या कोई इसे बदल पाएगा ? और ऐसा ही हुआ। आगे पूरे विश्व का इतिहास दोहराते वक्त कोरोना से पहले और कोरोना के बाद ऐसा जरूर लिखा जाएगा।

कोरोना के साथ लड़ने के लिए दो जरूरी हथियार हैं। पहला, हमारा स्वस्थ शरीर, और दूसरा नियमों का आचरण। "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है"। यह बचपन में सीखी हुई बात हम भूल चुके हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तो क्या कोई रोग हम पर आक्रमण कर सकता है? शरीर के लिए योग और मन के लिए ध्यान यह मेरे हिसाब से स्वस्थ जीवन के मंत्र हैं। रोज ब्यायाम, योग करके खुद को स्वस्थ रखना और ध्यान करके मन को शांत रखना जरूरी है क्योंकि उससे पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है, नई ऊर्जा मिलती है। हर व्यक्ति सुधरेगा तो निश्चित उसका कुटुंब सुधर जाएगा। फिर आस पास के मित्र परिवार, गाँव और पूरा देश, विश्व भी उन्नति करेगा। अगर हर व्यक्ति अपना शरीर स्वस्थ रखे तो बात बन जाएगी। यह बात हम समझ जाए तो कोरोना क्या हम किसी भी महामारी का सामना कर सकते हैं।

योग का मूल स्थान भारत है। लेकिन बहुत कम प्रतिशत लोग उसके प्रति जागरूक थे। मुझे गर्व है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले जो खुद ध्यान और योग करते हैं। उन्होंने भारत की यह विशेषता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर फिर एक बार भारत का नाम रोशन किया, उसे नयी पहचान दी और लोगों को योग के प्रति प्रभावित किया।

कोरोना कैसे आया, कहां कितने लोग मरे, कितने बेरोज़गार हुए, कोरोना की दवा, उसका इलाज ऐसे बड़े मुद्दों पर हम अखबारों में पढ़ते आए हैं। इसके आर्थिक संकट और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में भी मीडिया में देखते आए हैं। मैं यहां केवल एक आम नागरिक के जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ।

हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार, चिकित्सा विभाग डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी, दूसरों को मदद करनेवाले और सेवाभावी संस्था जिन्होंने कोरोना के इस

संक्रमण काल में जो काम किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। फिर एक बार हम अपनी पुरानी आयुर्वेद दवा की तरफ मुड़ रहे हैं ये भी अच्छी बात है। कोरोना के लिए हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा।

‘अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओं’ ये बात बड़े-बुजुर्ग हमें पहले जो कहते थे उसी का मतलब आत्मनिर्भर बनना है। उजाले को देखने के लिए खुद की आंखों को ही खोलना पड़ता है, उसी प्रकार जिम्मेदार नागरिक बनकर इस समस्या का सामना करना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि -

“स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें,
जो आया है, वह जाएगा भी।”

शशेंद्र एम शिरोडकर

कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी,
उप क्षेत्रीय प्रभाग, पोरबंदर



कटहल

कटहल दुनिया का सबसे बड़े फल है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्टोकार्पस हेटरोफिजस है। कटहल की खेती पूरी भारत में व्यापक रूप से की जाती है।

कटहल को कई तरह से इस्तेमाल किया जाते है - सब्जी, अचार, पकौड़ा आदि। ये आयरन का एक अच्छा सोर्स है। जब कटहल कच्चा होता है तब उसे सब्जी के रूप में खाया जाता है और पके हुए कटहल को फल के रूप में खाया जाता है। इसमें खूब सारा फाइबर होता है। इसमें विटामिन सी और ए पाया जाता है। यह आयरन की अच्छी मात्रा प्रदान करता है और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है।



प्रमाणीकृत चिरस्थाई भारतीय छोटी गरदन वाले क्लाम

अष्टमुड़ी क्लाम मात्स्यिकी - चिरस्थाई रूप में एमएससी प्रमाणीकृत भारत की प्रथम मात्स्यिकी

अष्टमुड़ी क्लाम मात्स्यिकी को चिरस्थाई के रूप में एमएससी प्रमाणित किया गया है। सभी क्लाम में छोटी गरदन वाले क्लाम (पाफिया मलाबारिका) सबसे छोटे होते हैं, जिसकी विश्व में सर्वाधिक मांग है। अन्य क्लामों की तरह छोटी गरदन वाले क्लामों में वसा कम और ये



प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। क्लाम में उच्च मात्रा में आयरन होता है एवं फोस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीस, सेलेनियम, विटामिन ए, सी, बी12 व रिबोफ्लाविन का अच्छा स्रोत होता है।

क्लाम में अमीनो अम्ल की 106 मात्रा होती है, जो यह सूचित करता है कि यह उच्च गुण वाला प्रोटीन है। क्लाम खाने से कोलेस्ट्रॉल स्तर कम होता है। यह मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में



मदद करता है एवं स्वस्थ त्वचा बनाए रखने में मदद करता है।

अष्टमुड़ी की कहानी

वर्ष 1990 में अविवेकपूर्ण मत्स्यन के फलस्वरूप क्लाम की आबादी घटकर आधी हो गयी, जिसका व्यापार एवं स्थानीय मछुआरों पर विपरीत असर हुआ। इसने मछुआरों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में चिरस्थाई प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने किशोर क्लाम की पकड़ से बचने के लिए मत्स्यन जाल में न्यूनतम मेष आकार रखना, बड़े पैमाने पर और अंधाधुंध मत्स्यन तरीकों का सहारा लेने वाले यांत्रिक क्लैम फिशिंग को प्रतिबंधित करना शुरू किया और क्लैम मास की पुनः पूर्ति

के लिए हर साल प्रजनन के मौसम के दौरान मत्स्यन अवकाश का निर्णय लिया गया। प्रति वर्ष पकड़ करीब 10,000 टन बना रहा। इससे क्लाम की आबादी में सुधार हुआ तथा झील के साथ साथ इस पर आश्रित स्थानीय लोगों की स्थिति में सुधार हुआ।

इसके कारण मरीन स्टीवार्डशिप कौंसिल (एमएससी) द्वारा चिरस्थाई के रूप में अष्टमुड़ी क्लैम मत्स्य का प्रमाणन हुआ।

साभार :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
वेबसाइट





सारे रिश्ते टूट गए

एक बार एक बहुत सुन्दर लडकी थी। वह इतनी सुन्दर थी जो भी उसे देखता, देखता ही रह जाता। पर उसे गुस्सा बहुत आता था। गुस्से में वह किसी से कुछ भी कह देती। घर के सब लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे।

एक बार उसके पिता ने उसे सबक सिखाने का सोचा। उसके पिता ने उसे कुछ कील और हथौड़ा दिया और कहा एक महीने तक हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें तुम्हें बस एक महीने तक गुस्सा कम करना है उसके बाद तुम चाहो जितना गुस्सा कर सकती हो। और जब भी तुम्हें

गुस्सा आये और तुम किसी से बुरी तरह बोल दो तो एक कील दीवार में लगा देना। और कोशिश करनी है गुस्सा कम करने की, लडकी तैयार हो गई। उसे जब भी गुस्सा आता और वह किसी को कुछ बोल देती तो एक कील दीवार में लगा देती। पहले दिन उसने दीवार में 30 कील लगा दी। पर धीरे धीरे दीवार में लगाने वाली कील कम होने लगी। 15 ही दिन में उस लडकी ने सबसे बुरा बोलना कम कर दिया। अब उसके पिता ने उससे कहा कि अगर तुम एक बार भी गुस्सा होने पर किसी से बुरी तरह न बोलो तो अपने द्वारा लगायी हुई कील में से एक कील निकाल देना। लडकी ने वैसे ही किया। 1 महीने के अंत तक दीवार से सब कील निकल गई। लडकी बहुत खुश हुई कि वो इस गेम में जीत गयी और अपने पिता जी

से कहने लगी देखिए सब कील दीवार से निकल गई। उसके पिता ने कहा दीवार से कील तो निकल गयी पर क्या दीवार पहले जैसी सुन्दर दिख रही है। दीवार में जगह जगह गढ़े पड गए हैं। पिता ने अपनी बेटी को समझाया इसी तरह जब तुम किसी पर गुस्सा करती हो तो तुम्हारे रिश्तो में भी खराब निशान पड ही जाते हे। और एक दिन यही निशान रिश्तों को भी खराब कर देते हैं लडकी को बात समझ में आ गयी और उसने उस दिन से गुस्सा करना बहुत कर दिया।

कहानी का नैतिक -

दोस्तों सभी का यही हाल होता है । हम जिस पर गुस्सा कर सकते हैं उससे

बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं और अपने रिश्तो को खराब कर लेते हैं । गुस्सा करने की हम आदत बना लेते है और जिसे हम दबा सकते हैं उसी पर गुस्सा करते हैं । जैसे कि ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया हम उससे कुछ नहीं कह सकते तो घर पर आकर बच्चों को बिना किसी गलती के ही डॉट देते हैं । इसलिए अपनी इस खराब आदत को रिश्तों के खराब होने से पहले ही सुधार लीजिए ।

महिमा महेशकुमार सोनी
महेशकुमार रतीलाला सोनी की सुपुत्री
क्षेत्रीय प्रभाग, वलसाड



क्यों माँ

माँजब मैं निकलती हूँ घर से
क्यों कांप जाती है मेरी रुह.....

माँजब चलती हूँ रास्ते में क्यों
लगता है कि कोई साया है मेरे पीछे.....

माँक्यों कभी कभी अपने ही
साये से डर जाती हूँ

माँक्यों पड़ोस में रहने वाले अंकल
हमेशा मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हैं.....

माँ.....आजकल बस वाला भईया
भी क्यों हाथ पकड़ के चढ़ाता है.....

माँ.....क्यों अब अकेलेपन से भी
डर लगता है.....

माँक्यों अब ट्यूशन वाले सर भी
मुझे ही देखा करते हैं

माँजब भी मार्केट जाती हूँ क्यों लोग
घूरते रहते हैं ।

माँक्यों अब अपने ही पराये लगते हैं

आखिर क्यों माँ लडकी होना क्या

इतना बड़ा गुनाह है कि हमें

चार दीवारों में बंद किया जाता है

आखिर क्यों माँक्यों माँ



महिमा महेशकुमार सोनी
महेशकुमार रतीलाला सोनी की सुपुत्री
क्षेत्रीय प्रभाग, वलसाड



ई - फाइलों में हिन्दी में टिप्पणियाँ लिखने हेतु वाक्य / वाक्यांश

Consumer	उपभोक्ता
Consumers ready to pay premium prices	उपभोक्ता प्रीमियम की कीमतों का भुगतान करने के लिए तैयार है ।
safety	सुरक्षा
Food safety and quality	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता
Relaxation	छूट
Relaxation of Rules	नियमों में छूट
Selection	चयन
Selective Fishing	चयनात्मक मत्स्यन
Draft	मसौदा
Draft for approval	अनुमोदनार्थ मसौदा
Upgradation	उन्नयन
Upgradation of the post	पद का उन्नयन
Sanction	मंजूरी
Empowered to Sanction	मंजूरी देने का अधिकार है ।
Eligibility	पात्रता
Eligibility list	पात्रता सूची
Adho	तदर्थ
Benefit of adhoc relief	तदर्थ राहत हितलाभ
Gross	सकल
Gross primary production	सकल प्राथमिक उत्पादन
Verification	सत्यापन
Put up for verification	सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें
Scheme	योजना
Equity participation scheme	इक्विटी सहभागिता योजना
Proficiency	प्रवीणता
Proficiency in Hindi	हिन्दी में प्रवीणता
prevention	निवारण

prevention is better than cure	निवारण इलाज से बेहतर है ।
Declaration	घोषणा
Declaration of Shrimp Production	झींगा उत्पादन की घोषणा
Receipts	रसीद
Departmental Receipts	विभागीय रसीदें
Value added marine products	मूल्यवर्धित समुद्री उत्पाद
Production of value added marine products	मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों का उत्पादन
suppliers	आपूर्तिकर्ता
List of suppliers	आपूर्तिकर्ताओं की सूची
Raw Material	कच्चे माल
Import of Raw Material	कच्चे माल का आयात
Environment	पर्यावरण
Environmentally sustainable development	पर्यावरणीय रूप से चिरस्थायी विकास
subsidy	इमदाद
Entitled to a subsidy	इमदाद के लिए हकदार
Standard	मानक
Fixing of standards and specifications for marine products	समुद्री उत्पादों के लिए मानकों और विनिर्देशनों का निर्धारण ।
Sufficient	पर्याप्त
Sufficient Notice has not been given	पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया है ।
Processing plant	प्रसंस्करण संयंत्र
Rendering of financial assistance to owners of processing plants.	प्रसंस्करण संयंत्रों के मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
In lieu of	के बदले
Housing allowance in lieu of rent free quarters	निःशुल्क आवास के बदले आवास भत्ता ।
Trade Promotion offices	व्यापार संवर्धन कार्यालय
The Trade Promotion offices liaise with Importers	व्यापार संवर्धन कार्यालय आयातकों के साथ संपर्क करते हैं ।
In accordance	के अनुसार
This is in accordance with the extant rules	यह वर्तमान नियमों के अनुसार है ।
Screening	जांच
These Laboratories are performing the screening of aquaculture products	ये प्रयोगशालाएँ जलकृषि उत्पादों की जांच कर रही हैं ।
Tenders	निविदाएँ

Tenders have been invited	निविदाएँ आमंत्रित की गयी हैं।
Empower	सशक्त
Extension activities at grass root level to empower fishermen	मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए निचले स्तर पर विस्तारण कार्यकलाप।
Rectified	परिशोधन
Required to be rectified	परिशोधन अपेक्षित है।
Augmenting export	निर्यात बढ़ाना
Generate additional raw material for augmenting export.	निर्यात बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कच्चे माल का उत्पादन।
Guidance	मार्गदर्शन
Noted for future guidance	भावी मार्गदर्शन के लिए नोट किया।
Mud crab	कीचड़ केकड़ा
Organized a demo on scientific culture of mud crab	कीचड़ केकड़े की वैज्ञानिक कृषि पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
Prescribed	निर्धारित
In the prescribed manner	निर्धारित रीति से।
Awareness	जागरूकता
Creating awareness among the farmers on banned antibiotics	प्रतिबंधित प्रतिजैविक दवाओं पर कृषकों के बीच जागरूकता पैदा करना।
Ready reference	सुलभ संदर्भ
Copy enclosed for ready reference	सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न।
Production capacity	उत्पादन क्षमता
expansion of the existing production capacity	मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार।
Discrepancy	विसंगति
Discrepancy may be reconciled	विसंगति का समाधान कर लिया जाए।
Pivotal role	महत्वपूर्ण भूमिका
MPEDA plays a pivotal role in upgrading the quality of seafood	समुद्री खाद्य की गुणवत्ता के उन्नयन में एमपीईडीए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Mobilization	जुटाना
Mobilization of resources	संसाधन जुटाना।
Memorandum of Understanding	समझौता ज्ञापन
Memorandum of Understanding (MoU) between two countries has been signed.	दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

Bilateral co-operation	द्विपक्षीय सहयोग
Bilateral co-operation between India and Russia has been strengthened.	भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ किया गया है।
Release	जारी करना
Total Sanctioned Amount has been released.	कुल संस्वीकृत राशि जारी कर दी गई है।
Pending cases	लंबित मामले
Pending cases be disposed off early	लंबित मामले शीघ्र निपटाए जाएं।
As modified	यथासंशोधित
Please put up the file as modified	कृपया फाईल को यथासंशोधित प्रस्तुत करें।
lenient approach	उदार दृष्टिकोण
We should have lenient approach in administrative matters.	हमें प्रशासनिक मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
Summary	सार
Summary of the case may be put up.	इस मामले का सार प्रस्तुत किया जाए।
Desired document	अपेक्षित दस्तावेज
The desired document has been received	अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं।
satisfactory	संतोषजनक
Committee reviewed the progress as satisfactory.	समिति ने प्रगति को संतोषजनक माना।
Comprised	शामिल
Expert Committee will be comprised of the following	विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे।
blue print	रूपरेखा
The blue print of the proposed project has been approved by the Secretary.	सचिव ने प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा का अनुमोदन कर दिया है।
Vulnerability	संवेदनशीलता
Vulnerability of coastal infrastructure and water resources	तटीय अवसंरचना और जल संसाधनों की संवेदनशीलता।
Unprecedented	अप्रत्याशित
Unprecedented Climate Changes	अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन
Comprehensive	व्यापक
Comprehensive Action Plan	व्यापक कार्य योजना
Coastal protection	तटीय संरक्षण
National strategy for coastal protection	तटीय संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति

Monitoring	निगरानी
Continuous water quality monitoring systems	सतत जल गुणवत्ता निगरानी प्रणालियां
Public awareness	जन जागरूकता
Public awareness and capacity building activities	जन जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यकलाप।
omission	चूक
The omission was rectified.	चूक को सुधारा गया था।
In-service	सेवाकालीन
A new batch of trainees arrived for 3 months In-service Training.	प्रशिक्षणार्थियों का नया बैच त्रैमासिक सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए आया।
Achievement	उपलब्धि
Financial Achievement.	वित्तीय उपलब्धि
Instruction	अनुदेश
Instructions are solicited	कृपया अनुदेश देने का अनुग्रह करें।
Extreme Urgency	अत्यधिक आवश्यक
Matter of extreme urgency.	अत्यधिक आवश्यक मामला।
Intimation	सूचना
Under intimation to this office	इस कार्यालय को सूचना देते हुए।
Computation	अभिकलन
Computation of repaying capacity	चुकाने की क्षमता का अभिकलन
Authorisation letter	प्राधिकार पत्र
Authorisation letter with specimen signature of the bearer	वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र
Monthly income	मासिक आय
At the rate of monthly income	मासिक आय की दर से।
Renewed	नवीकृत
Waiting list may be renewed	प्रतीक्षा सूची को नवीकृत किया जाए।
Interview	साक्षात्कार
Appear for interview	साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो।
Anticipation	प्रत्याशा
In anticipation of your approval	आपके अनुमोदन की प्रत्याशा में
Consolidated report	समेकित रिपोर्ट
Consolidated report may be furnished	समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

Maximum	अधिकतम
At the maximum of the pay scale	वेतनमान के अधिकतम पर
Interim	अन्तरिम
Make interim arrangements.	अन्तरिम प्रबन्ध करें।
Observance	पालन
Observance of Rules	नियमों का पालन
Expense	व्यय
Accountancy expenses	लेखाकरण व्यय
Commodity	वस्तु
Essential Commodity	आवश्यक वस्तु
Training	प्रशिक्षण
Vocational Training	व्यावसायिक प्रशिक्षण
Disease	रोग
White spot disease	सफेद धब्बा रोग।
Width	चौड़ाई
Width of pond	तालाब की चौड़ाई।
Source	स्रोत
Source of water.	जल का स्रोत।
Specific	विशिष्ट
Specific reason may be given.	विशिष्ट कारण दें।
Propriety	औचित्य
Question of propriety	औचित्य का प्रश्न।
Promotion	पदोन्नति
Promotion by seniority	वरिष्ठतानुसार पदोन्नति
Abeyance	प्रास्थगन
Please keep in abeyance	कृपया प्रास्थगित रखें।
Effect	प्रभाव
With retrospective effect	पूर्वव्यापी प्रभाव सहित
Amendment	संशोधन
Amendment of Rules	नियमों का संशोधन
Advice	सलाह

Advice awaited	सलाह की प्रतीक्षा है।
Storage	संचयन
Long term storage	दीर्घकालिक संचयन
Immediate	तत्काल
Please inform immediately	कृपया तत्काल सूचित करें।
Reference	संदर्भ
No reference is coming	पिछला संदर्भ नहीं मिल रहा है।
Fortnight	पखवाडा
Remind after a fortnight	एक पखवाड़े के बाद याद दिलाएं।
Special case	विशेष मामला
Kindly Sanction as a special case	कृपया विशेष मामले के रूप में मंजूर किया जाए।
Loan	ऋण
The loan has been sanctioned	ऋण मंजूर किया गया है।
Recovery	वसूली
Recovery will be made in the next month	अगले महीने में वसूली की जाएगी।
Advance	अग्रिम
Computer advance is sanctioned	कंप्यूटर अग्रिम की मंजूरी दी जाती है।
Vacancy	रिक्ति
Casual Vacancy may be filled	आकस्मिक रिक्ति भरी जाए।
Infection	संक्रमण
Please protect the consignment from infection	कृपया परेषण को संक्रमण से बचाएं।
Universalization	सार्वभौमिकरण
Universalisation of education	शिक्षा का सार्वभौमिकरण
Figur	अंक
In words and figures	डूशब्दों और अंकों में
Information	सूचना
Submission for information	कृपया सूचना के लिए प्रस्तुत है।
For Consideration	विचारार्थ
Matter is under consideration	मामला विचारार्थ है।
Acknowledge	पावती
Kindly acknowledge the receipt	कृपया रसीद की पावती दें।

Indent	मांगपत्र
Indent for miscellaneous technical items	विविध तकनीकी सामग्री के लिए मांगपत्र।
Presence	उपस्थिति
In the presence of Officer	अधिकारी की उपस्थिति में
Chemical	रसायन
Certificate of analysis for chemicals	रसायनों के विश्लेषण का प्रमाणपत्र
Collaboration	सहयोग
Collaboration agreement	सहयोग समझौता
Work allocation	कार्य आबंटन
Work Allocation and responsibilities	कार्य आबंटन और जिम्मेदारियां
Audit	लेखापरीक्षा
Internal Audit	आंतरिक लेखा परीक्षा।
Equipment	उपकरण
Intermediary check for equipments	उपकरणों के लिए मध्यस्थ जांच
Happy World Hindi Day	विश्व हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं
Customer	ग्राहक
Customer confidential report	ग्राहक गोपनीय रिपोर्ट।
Consumable	उपभोज्य
Evaluation of critical consumable	महत्वपूर्ण उपभोज्य का मूल्यांकन।
Obsolete	अप्रचलित
Obsolete document	अप्रचलित दस्तावेज़।
Contract	संविदा
Deputation of officers on short term contract	अल्पकालिक संविदा पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।
Part time	अंशकालिक
Part time employment	अंशकालिक रोज़गार।
Net	निवल
Net qualifying service	निवल अर्हक सेवा।
Acceptance	स्वीकृति
Acceptance of tender	निविदा की स्वीकृति।
Gazette	राजपत्र
Gazette Notification	राजपत्र अधिसूचना।

Entry	प्रविष्टि
Single entry system	एकल प्रविष्टि पद्धति
Questionnaire	प्रश्नावली
Questionnaire has been framed	प्रश्नावली बना ली गई है।
Candidate	उम्मीदवार
Qualified candidate	अर्हता प्राप्त उम्मीदवार।
Fact	तथ्य
Please verify the facts before issue	कृपया जारी करने से पहले तथ्यों को सत्यापित करें।
Corrigendum	शुद्धिपत्र
Corrigendum may be put up	शुद्धिपत्र प्रस्तुत किया जाए।
Presentation	प्रस्तुतीकरण
Keep data ready for presentation	प्रस्तुतीकरण के लिए आंकड़े तैयार रखें।
Evaluation	जांच परख
Some samples were taken for evaluation.	कुछ नमूने जांच-परख हेतु लिए गए
Guidelines	दिशानिर्देश
The DOPT has issued guidelines for fixation of pay.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने वेतन निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं
Error	त्रुटि
It was just a clerical error.	यह मात्र एक लिपिकीय त्रुटि थी।
Concurrence	सहमति
The financial concurrence has been obtained for the project.	परियोजना के लिए वित्तीय सहमति प्राप्त कर ली गई है।
Stages	चरण
The project is in its final stages	परियोजना अपने अंतिम चरण में है।
Deployed	तैनात
The employee has been deployed on field duty.	कर्मचारी को फील्ड ड्यूटी पर तैनात किया गया है।
Feasibility	संभाव्यता
The feasibility report has been submitted	संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
Organic farming	जैविक कृषि
The experts have suggested to adopt organic farming.	विशेषज्ञों ने जैविक कृषि को अपनाने का सुझाव दिया है।
Fair copy	स्वच्छ प्रति

Please, attach a fair copy of the proposal.	कृपया, प्रस्ताव की स्वच्छ प्रति संलग्न करें।
Unprecedented	अप्रत्याशित
Unprecedented Climate Changes	अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन।
Coastal	तटीय
National Coastal Mission Programme	राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम
prohibited	निषिद्ध
Dumping of waste material on river banks is prohibited	नदी किनारों पर कचरा फेंकना निषिद्ध है।
It is a remunerative occupation	एक लाभकारी व्यवसाय है।

बारिश की बूँदे

सारे लोग खुशी से कूदते हैं
और हँसते हैं।
गाते हैं और नाचते हैं।
खूबसूरत मोर भी नाचते हैं।
नीले आसमान काले होते हैं
छम-छम से पानी की बूँदे गिरती हैं
यह तभी है जब बारिश होता है
बारिश में खूब मज़ा आता है
बारिश बारिश..... बारिश



पुण्यकीर्ति. आर
डॉ राम मोहन. एम. के,
संयुक्त निदेशक की सुपुत्री





राजभाषा
कीर्ति पुरस्कार

“राजभाषा कीर्ति पुरस्कार”

एक राष्ट्रीय स्तर की मान्यता है और जिसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन केंद्र सरकारी कार्यालयों, बोर्ड / स्वायत्त निकायों को दिया जाता है जिनका राजभाषा कार्यान्वयन सर्वोत्तम होता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान संघ की राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए “ग” क्षेत्र में केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकाय/बोर्ड की श्रेणी में ‘राजभाषा कीर्ति पुरस्कार’ (तृतीय) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) को प्राप्त हुआ। लगातार पिछले दो वर्षों से यह प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार एमपीईडीए को प्राप्त हुआ है।



समुद्री खाद्य सेक्टर के लिए कोविट 19 मार्गनिर्देश

कोविड -19 एक संचारी रोग है जो एसएआरएस सीओवी 2 नामक नॉवल कोरोना वायरस के कारण होता है। कोरोना वायरस, वायरस का एक बड़ा समूह है जो जानवरों और मनुष्यों में बीमारी का कारण बनता है। कोरोना वायरस जूनोटिक प्रकृति के होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जानवरों और लोगों के बीच संक्रमित होते हैं। कोविड-19 घातक श्वसन पथ की बीमारी का कारण बनता है और संक्रमण के सामान्य लक्षणों में श्वसन लक्षण, खांसी, सांस की तकलीफ और बुखार शामिल हैं। गंभीर स्थितियों में, संक्रमण से निमोनिया, गंभीर घातक श्वसन सिंड्रोम, गुर्दे की विफलता और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोविड-19 वायरस मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने या जोर से बात करने पर उत्पन्न लार, श्वसन की सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से फैलता है। संक्रमण अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन की सूक्ष्म बूंदों वाली दूषित सतहों के संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है।

- गंध या स्वाद में कमी
- त्वचा पर चकते या अंगुली या पैर की उंगलियों के विवरण




बुखार

खांसी

सांस लेने में कठिनाई

गैर-प्रतिरक्षा आबादी में 2 की प्रजनन संख्या वाला वायरस कैसे फैलता है



हालांकि कोविड19 को खाद्य जनित नहीं माना जाता है, लेकिन समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सतर्क रहना और कार्यस्थल में कोविड19 के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं / प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों को अच्छी स्वच्छता, सोशियल डिस्टेंसिंग प्रक्रिया, नियमित पर्यावरणीय सफाई, कीटाणुशोधन और अनावश्यक यात्रा को सीमित करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए। वे डिलीवरी ड्राइवर, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता आदि सहित सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए भी हाथ धोने और स्वच्छता के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।

कोविड-19 के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:

- बुखार (उच्च तापमान - 37.50° से या उससे ऊपर)
- खांसी- यह न केवल सूखी किसी भी तरह की खांसी हो सकती है,
- सांस लेने में कठिनाई
- साँस की तकलीफ
- थकान
- सरदर्द
- दस्त

2. प्रबंधन उत्तरदायित्व

- कर्मचारियों को संगरोध पर जाने पर मजदूरी या अपनी नौकरी खोने के डर के बिना बीमारी की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रबंधन की ओर से मामले पर उपयुक्त आश्वासन दिया जाए।
- कर्मचारियों को इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि उन्हें कोविड19 के लक्षणों के साथ प्रसंस्करण इकाई में नहीं आना चाहिए, बल्कि टेलीफोन पर ऐसी बीमारी को सूचित करना चाहिए।
- सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की स्क्रीनिंग के लिए गेट / एंट्री पॉइंट पर गैर संपर्क थर्मल स्कैनर की मदद से उनके शरीर के तापमान की जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि किसी कर्मचारी का तापमान 37.50 से. है या फ्लू जैसे लक्षण हैं या कर्मचारी रिपोर्ट करता है कि वे ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाए, उसे वापस घर नहीं भेजा जाना चाहिए और घटना की सूचना स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को दी जानी चाहिए तथा उनकी सलाह के अनुसार ही कार्रवाई की जानी चाहिए।
- पार संपर्क से बचने के लिए महामारी की अवधि के दौरान जैव मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग बंद किया जाए। न्यूनतम शारीरिक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए इसे चेहरे की पहचान या मैनुअल सिस्टम से बदला जा सकता है।
- कर्मचारियों को सलाह दी जाए कि वे दूसरों के फोन, सामान, पेन, कार्य साधनों और उपकरणों का उपयोग न करें।
- समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ता को कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करके समुचित कदम उठाना चाहिए।
- प्रयुक्त फेस मास्क, हेड गियर्स, दस्ताने, एकल उपयोग तौलिये और एप्रन, जूते, वर्दी आदि के कीटाणुशोधन के उचित निपटान के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।
- सुनिश्चित करें कि इकाई के वातानुकूलित नहीं होने पर प्रसंस्करण क्षेत्र, शौचालय और वॉशरूम को पर्याप्त रूप से परिचालन निकास पंख से हवादार किया गया है।
- वातानुकूलित सुविधाओं के मामले में, सुनिश्चित करें कि स्वच्छ हवा को बनाए रखने के लिए उपयुक्त फिल्टर प्रदान किए जाते हैं (आदर्श रूप से 24-30° से तथा 40-70% आद्रता का तापमान बनाए रखें)।

- ❑ समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों द्वारा लॉकरों के शेयरिंग से बचा जाए और लॉकरों का उपयोग करते समय कर्मचारियों द्वारा कम से कम दो मीटर का अंतर रखा जाए।
- ❑ खाद्य संचालकों को सलाह दी जाए कि वे आम सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मनोरंजन केंद्र, कैटीन, छात्रावास आदि में भीड़ न करें।
- ❑ कामगार को भावनात्मक और वित्तीय सहायता देने और बीमारी/ संपर्क की रिपोर्ट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि संक्रमण या संगरोध के कारण काम करने के दिनों में होने वाले नुकसान के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाए।
- ❑ समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ता एक श्रमिक के खिलाफ भेदभावपूर्ण बर्ताव जो कोविड-19 से स्वस्थ हुआ हो, या ठेके के श्रमिकों को दस्ताने और मास्क जैसे सुरक्षात्मक गियर प्रदान नहीं करने जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोक सकता है।
- ❑ कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कच्चे माल और अन्य इनपुट्स के आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरते कि उनके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री उचित सफाई और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हैंडल किया गया है।


2.1 आपातकालीन कार्रवाई दल का गठन (ईआरटी)

- ❑ संदिग्ध कोविड 19 संक्रमणों से निपटने के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की स्थापना की जानी चाहिए और एक व्यक्ति को कोविड19 समन्वयक के रूप में अच्छी तरह से प्रशिक्षित और नामित किया जाना चाहिए।
- ❑ समन्वयक का संपर्क विवरण सभी कर्मचारियों के साथ साझा किया जाना चाहिए और श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के सदस्यों की जानकारी के लिए यूनिट परिसर में सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- ❑ आपातकालीन कार्रवाई दल को संदिग्ध कोविड 19 रोगियों को हैंडल करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए और सामान्य तैयारियों के साधन के रूप में, निम्नलिखित को कम से कम सुनिश्चित करना चाहिए:
 1. सुनिश्चित करें कि स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य आपातकालीन संपर्कों की एक सूची को रखा या अद्यतन करके प्रदर्शित किया जाये।
 2. कोविड19 परीक्षण और उपचार के लिए स्थानीय अधिकृत केंद्रों/ अस्पतालों की सूची को रखा जाता है और नियमित तौर पर इसका अद्यतन किया जाता है।
 3. कीटाणुशोधन प्राधिकरणों / कंपनियों के संपर्क विवरण को सुलभ रखा जाता है।
 4. आपातकाल के दौरान उपयोग के लिए पर्याप्त कीटाणुनाशक और डिस्पेंसर उपलब्ध हों। श्रमिकों की एक टीम को प्रशिक्षित किया जाए और तत्काल कीटाणुशोधन के लिए तैयार रखा जाये।
 5. आपातकालीन उपयोग के लिए मास्क, दस्ताने, सुरक्षा शील्ड्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सरकार द्वारा समय - समय पर जारी की गई सलाह के अनुसार उपलब्ध हों।
 6. संदिग्ध मामलों और प्राथमिक संपर्कों के लिए अलगाव कमरा, संलग्न शौचालय और रंग कोडित बंद कूड़ेदानों के साथ रंग कोडित कचरा बैग जो कि कामगार का परीक्षण सकारात्मक होने की स्थिति में, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के मार्गदर्शन पर अलग से निपटाया जाना है।
 7. संदिग्ध मामलों और प्राथमिक संपर्कों के लिए अलगाव कमरे, संलग्न शौचालय और रंग कोडित बंद कूड़ेदानों के साथ रंग कोडित कचरा बैग जो कि कामगार का परीक्षण सकारात्मक होने की स्थिति में, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के मार्गदर्शन पर अलग से निपटाए जाना है।

8. श्रमिकों और कर्मचारियों को दैनिक आधार पर संपर्क में आए व्यक्ति, दौरा किए गए स्थान (दुकान, जगह), साझा किए गए परिवहन के साधन (बाइक, कार, बस आदि) नोट करने हेतु एक व्यक्तिगत डायरी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
9. आवश्यकता और उस दिन के लिए नियोजित गतिविधियों के आधार पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए केवल आवश्यक न्यूनतम श्रमिकों को कहा जाए और इसे अग्रिम में सूचित किया जाए।

3. कामगारों की जागरूकता

समुद्री खाद्य कामगारों में वे लोग शामिल हैं जो अपने काम के भाग के रूप में सीधे खुले समुद्री खाद्य को छूते हैं। इसमें ऐसे कामगार भी शामिल हैं जो खुले खाद्य को हैंडल करने वाले क्षेत्रों में खाद्य संपर्क सतहों या अन्य सतहों को छूते हैं। इसलिए यह शब्द, प्रबंधकों, क्लीनरों, अनुरक्षण ठेकेदारों, वितरण श्रमिकों और खाद्य निरीक्षकों पर लागू हो सकता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारी कोविड 19 संक्रमण, इसके स्रोतों के बारे में अवगत हों और कोई लक्षण न होने पर भी बीमार महसूस होने पर काम के लिए रिपोर्टिंग न करना, जैसे इसे रोकने के तरीकों के बारे में उन्हें पता हो।



कोरोना वायरस से संरक्षण



सामान्य निर्देश

- ❑ कोविड 19 के प्रसार को रोकने में साबुन और पानी से उचित रूप से हाथ धोना सबसे प्रभावी साधनों में से एक है।
- ❑ संयंत्र एवं इसके गैर खाद्य हैंडलिंग क्षेत्रों में भी सैनिटाइजिंग पॉइंट (स्टेशन) स्थापित किए जाएंगे।
- ❑ कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में हाथ धोने वाले स्टेशनों पर पोस्टर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं।
- ❑ प्रवेश स्थानों पर जोखिम कम करने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले पोस्टर या साइन बोर्ड प्रदर्शित किए जाएं।
- ❑ हाथों को हर दो घंटे के बाद पानी और तरल साबुन का उपयोग करके 20 सेकंड या उससे अधिक समय तक कोहनी नीचे करके धोना चाहिए। हाथों को साफ तौलिए (डिस्पोजेबल तौलिए अधिमान्य हैं) का या हस्त झायर का उपयोग करके सुखाया जाना चाहिए।
- ❑ उत्तम श्वसन स्वच्छता (जीआरएच), कारखाने में, कोविड 19 को फैलने से रोकने में मदद करता है। मुंह और नाक को टिश्यू से ढँककर अथवा कोहनी /

आस्तीन के भीतरी तरफ खॉसना या छींकना और अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए हाथों की हथेली का उपयोग न करने को व्यवहार में लाया जाना चाहिए।

- ❑ खांसते या छींकते समय फूड हैंडलर / कर्मचारी को फूड हैंडलिंग क्षेत्र से दूर चले जाना चाहिए।
- ❑ खांसी और छींक जैसी सांस की बीमारी के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क से बचें।
- ❑ टिशू को एक पैर संचालित बंद बिन में डाला जाए और खाद्य को हैंडल करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोया और साफ किया जाए।
- ❑ यदि कोई खाद्य हैंडलर बिना श्वसन स्वच्छता का पालन किए खॉसता या छींकता है या उसमें फ्लू जैसे लक्षण विकसित होते हैं, तो व्यक्ति के चारों ओर 6 फीट से अधिक का क्षेत्र तुरंत खाली एवं अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए और ताजा तैयार 1S हाइपोक्लोराइट घोल या नॉवल कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी किसी अन्य कीटाणुनाशक का उपयोग करके कीटाणुरहित किया जाये।
- ❑ कर्मचारी नाक और मुंह ढकने के लिए चेहरे के साफ मास्क का उपयोग करें। कोविड 19 के संक्रमण के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में फेस शील्ड का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।
- ❑ मुंह, नाक और टुड्डी पर कोई भी गैप छोड़े बिना मास्क चेहरे पर पूरी तरह फिट होना चाहिए।
- ❑ फेस कवर को हर छह घंटे में या जैसे ही वे भीगते हैं, बदल दिया जाए। यदि पुनः प्रयोज्य चेहरे के कवर / मास्क का उपयोग किया जाता है, तो इसे अच्छी तरह से साफ, स्वच्छ और सूखा होना चाहिए।
- ❑ यदि त्याज्य फेस कवर का उपयोग किया जाता है या पुनः प्रयोज्य फेस कवर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसे एक बंद बिन में डाला जाए।
- ❑ फेस कवर को हटाने समय, ध्यान रखा जाए कि फेस कवर की बाहरी सतह को न छुएं।
- ❑ हाथ अच्छी तरह धोने से पहले फेस कवर / मास्क हटाने के बाद कर्मचारी अपने चेहरे, आंख, नाक आदि को न छूएँ
- ❑ यूनिट में मानक स्वच्छता प्रथाओं के अलावा, श्रमिक अपने हाथों को धोना सुनिश्चित करेंगे
 - ✓ काम शुरू करने से पहले
 - ✓ दरवाजे के हैंडल, दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों, कीबोर्ड जैसी सतहों को छूने के बाद।
 - ✓ दस्ताने, मुखौटे, आदि को हटाने के बाद

3.2 कामगार और कर्मचारी कैंटीन

जहाँ भोजन के लिए कर्मचारियों के पास कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं होता वहाँ आवश्यक फ्रंट लाइन सेवा में कार्यस्थल कैंटीन खुले रहने चाहिए। कैंटीन में हाथ धोने और श्वसन स्वच्छता प्रोटोकॉल के लिए स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता है। स्टाफ कैंटीन के लिए संचालन मानकों में निम्न शामिल होना चाहिए:

- ❑ बैठने की व्यवस्था सहित एक व्यक्ति और अन्य कामगारों के बीच कम से कम 2 मीटर की भौतिक दूरी बनाए रखना।
- ❑ किसी भी एक समय में कैंटीन में कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए सांतरण स्टाफ वर्क और ब्रेक का समय।
- ❑ जितना संभव हो उतना गैर जरूरी शारीरिक संपर्क को प्रतिबंधित करना।
- ❑ हाथ की स्वच्छता और शारीरिक गड़बड़ी को बढ़ावा देने वाले कर्मचारियों के लिए दृश्यमान नोटिस।
- ❑ उपकरण, परिसर, काउंटर टॉप्स / चिमटे / सर्विस बर्तन / खुले सेल्फ सर्विस डिस्पेंस / दरवाजे के हैंडल जैसी संपर्क सतहों / उच्च स्पर्श बिंदुओं के लिए सफाई और कीटाणुशोधन प्रक्रियाएं।

3.3 कार्य स्थल में शारीरिक फासला



कोविड 19 के प्रसार को धीमा करने के लिए शारीरिक फासला रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह संभावित रूप से संक्रमित व्यक्तियों और स्वस्थ व्यक्तियों के बीच संपर्क को कम करके हासिल किया जाता है।

- ❑ समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठान में सभी बिंदुओं पर दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखी जानी चाहिए।
- ❑ खाद्य हैंडलरों के लिए फर्श पर अंकन, मेजों को अलग करना, अवरोधों के उपयोग जैसे उपायों को अपनाना होगा
- ❑ भौतिक अवरोध पैदा करके एक उत्पादन तल पर संपर्क में लोगों की संख्या को सीमित करना, ताकि छोटे स्थानों में लोग बिना किसी डर के काम कर सकें।
- ❑ शिफ्ट के बीच का समय बढ़ने या ब्रेक टाइमिंग के सांतरण से कर्मचारियों की आपसी बातचीत को कम करने में मदद मिलेगी।
- ❑ कर्मचारियों या आगंतुकों के बीच प्रसार की संभावना को कम करने के लिए, दो लगातार शिफ्ट के बीच का समय अंतराल, सफाई और स्वच्छता के लिए अधिक समय प्रदान करेगा।
- ❑ जहाँ तक संभव हो आमने-सामने की बैठकों को टालना / कम से कम किया जाना चाहिए
- ❑ कर्मचारी, अपनी शिफ्ट के बाद कार पार्क, बस स्टॉप, कैंटीन या अन्य सामान्य क्षेत्रों में एकत्रित न हों।
- ❑ कंपनी द्वारा व्यवस्था किए गए वाहनों द्वारा आने वाले कर्मचारी यातायात के दौरान और वाहन की प्रतीक्षा करते समय शारीरिक फासला बनाए रखना सुनिश्चित करें।

- सार्वजनिक परिवहन द्वारा आने वाले कर्मचारियों को भी यात्रा के दौरान शारीरिक फासला बनाए रखने के निर्देश दिये जायें।
- वापस लौटते समय भी श्रमिकों को शारीरिक फासला बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। कर्मचारियों को ले जाने वाले सभी वाहनों को उचित रूप से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
- किसी भी समय पर भोजन तैयार करने वाले क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या सीमित करें।
- समूहों के बीच बातचीत को कम करने के लिए कर्मचारियों को कार्य समूहों या दलों में व्यवस्थित करें।
- बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से आयोजित की जाएं।

समुद्री खाद्य प्रसंस्करण वातावरण में भौतिक दूरी मार्गनिर्देश के पालन हेतु व्यावहारिक उपायों के उदाहरण हैं :


- प्रसंस्करण लाइनों के दोनों ओर वर्कस्टेशन को सांतरित रखें ताकि श्रमिकों को एक दूसरे का सामना न करना पड़े।
- कर्मचारियों के लिए फेस मास्क, हेयर नेट, डिस्पोजेबल दस्ताने, साफ चौगा और स्लिप रिडक्शन वर्क शूज प्रदान करें।
- स्पेस आउट वर्कस्टेशन , जिसे उत्पादन लाइनों की गति में कमी की आवश्यकता हो सकती है

सोशियल डिस्टेंसिंग




यदि संभव हो तो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण वर्कशीट को कैसे श्रेणीबद्ध करें

खराब: श्रमिक एक दूसरे के साथ साथ या वर्कस्टेशन को फेस करने सहित एक दूसरे से छह फीट दूरी के भीतर होते हैं



उत्तम: श्रमिक एक दूसरे से कम से कम छह फीट दूरी पर और एक दूसरे फेस न करते हुए होते हैं। श्रमिकों के बीच समान दूरी बनाने के लिए अन्य विन्यास का उपयोग किया जा सकता है




उत्तम: पार्टिशन, श्रमिकों को एक दूसरे से अलग रखना जैसे भौतिक अवरोध



पार्टिशन को प्रसंस्करण लाइन या अन्य विनिर्माण उपकरणों के साथ एकीकृत करने के लिए समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है

उत्तम: पार्टिशन, एवं उन स्थानों में जहाँ श्रमिकों को एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है सहित, श्रमिकों को एक दूसरे से अलग रखना, जैसे भौतिक अवरोध



छात्र सोचन्य: सो डी सो (2020) कोविड -19 से समुद्री खाद्य प्रसंस्करण कामगारों की सुरक्षा करना

4. खाद्य सामग्री और खाद्य उत्पादों का परिवहन और वितरण

वायरस व्यावसायिक परिसर में तभी प्रवेश करेगा जब कोई संक्रमित व्यक्ति प्रवेश करता है या दूषित उत्पादों या वस्तुओं को परिसर में लाया जाता है। सभी ड्राइवरों, लोडिंग और अनलोडिंग श्रमिकों, अन्य खाद्य हैंडलरों को कोविड 19 संक्रमणों, इसके लक्षणों और रोकथाम की संभावना के बारे में अच्छी स्वच्छता प्रथाओं, शारीरिक दूरी, सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाए। यूनिट परिसर से अंदर और बाहर आने जाने वाले ड्राइवरों और वाहनों को हैंडल करने के संबंध में कुछ सामान्य निर्देश नीचे दिए गए हैं :

- ❑ वाहनों के लिए यूनिट के प्रवेश द्वार पर टायर धोने का सुझाव दिया गया है
- ❑ एक बार जब वाहन गेट पर पहुँच जाता है तो उसे निर्धारित क्षेत्र में पार्क किया जाना चाहिए।
- ❑ तदुपरान्त, सभी चालक दल की कोविड 19 के लक्षणों और गैर संपर्क तापमान स्कैनर का उपयोग करके उनके शरीर के तापमान की जाँच की जानी है।
- ❑ जहाँ डिलीवरी कर्मियों की पहुँच होती है वहाँ, ड्राइवर के केबिन में सैनिटाइज़र या साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।
- ❑ सफाई कार्यक्रम जारी रखा, कार्यान्वित किया, सत्यापित किया जाएगा और रिकॉर्ड बनाए रखा जाए।
- ❑ वाहन चालक ने सरकार द्वारा घोषित कोविड19 नियंत्रण क्षेत्र से होकर गुजरा है या नहीं, यह जांचने के लिए प्रत्येक चालक का यात्रा इतिहास दर्ज किया जाए।
- ❑ यदि वाहन सरकार द्वारा घोषित नियंत्रण क्षेत्र से होकर गुजरा हो तो वाहन को पूरी तरह से साफ और कीटाणुरहित किया जाए।
- ❑ किसी भी मामले में, अगले खेप को हैंडल करने से पहले वाहन को पूरी तरह से साफ किया जाए।
- ❑ केबिन और वाहनों के हिस्सों जैसे दरवाजे, हैंडल, स्टीयरिंग व्हील, सीटें, यात्रा शुरू करने से पहले और 6 घंटे में एक बार 1% क्लोरीन स्प्रे या 70% अल्कोहल या समतुल्य से साफ किया जाना चाहिए। सफाई कार्यक्रम और रिकॉर्ड रखे जाने हैं।
- ❑ खाली टोकरे, पैलेट यदि बाहर से एकत्र किए गए हों तो 1% क्लोरीन घोल या समतुल्य छिड़का जाना चाहिए।
- ❑ ड्राइवरों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चाय या कॉफी के लिए न रुकने और सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग न करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। यदि अपरिहार्य है, तो हाथों को अच्छी तरह से धोना और साफ करना आवश्यक है।
- ❑ यदि चालक या सहायक स्टाफ में कोविड 19 के लक्षणों का संदेह हो तो उन्हें अलग-थलग रखना होगा और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस बारे में सूचित करना होगा।

- ❑ यदि आवश्यक हो, तो श्रमिकों और सामग्री की यात्रा और परिवहन के लिए संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त की जाए।

5. सुविधाओं में रोगाणुनाशन

समुद्री खाद्य उत्पादन के सभी चरणों में आवश्यक अच्छी स्वच्छता प्रथाओं में से, विशेष प्रासंगिकता सफाई और, जहां उचित हो क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए समुचित खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं और उपकरणों का कीटाणुशोधन। प्रसंस्करण संयंत्र परिसर की स्वच्छता के लिए उठाए जाने वाले कदम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। इन दिशानिर्देशों में निर्धारित के अलावा प्रसंस्करण संयंत्र परिसर की स्वच्छता के लिए समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से निर्धारित किसी भी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

- ❑ प्रसंस्करण सुविधा के परिसर को हमेशा अच्छी तरह से रखा जाए और पूरी तरह से साफ किया जाए और दैनिक रूप से साफ किया जाए
- ❑ ऑफिस स्पेस, कैंटीन, फूड हैंडलिंग एरिया, पैकेजिंग एरिया, स्टोर्स आदि को साबुन और पानी से साफ करना चाहिए, इसके बाद ताजा तैयार किए गए 1% हाइपोक्लोराइट घोल या कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अन्य कीटाणुनाशक का उपयोग कर कीटाणुनाशन किया जाना चाहिए।
- ❑ अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों को लक्ष्य करके, अन्य क्षेत्र जैसे पार्किंग स्थल, स्टोर, मशीन रूम, आंतरिक सड़कें, वाहन लोडिंग / अनलोडिंग बे आदि को भी साफ किया जाए।
- ❑ उच्च स्पर्श बिंदु जैसे हैंडरेल या हैंडल, काउंटर, टेलीफोन, प्रिंटर स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, माउस पैड, मेज, कुर्सियां, पेन, फाइलें, चाय या कॉफी डिस्पेंसिंग मशीन, इत्यादि को ताजा तैयार किए गए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से भिगोए कपड़े से दो बार साफ किया जाए। धातु की सतहों को, जहां ब्लीच का उपयोग उचित नहीं है, पोंछने के लिए 70% अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है।
- ❑ स्टोर, वेयरहाउस और कच्चा माल प्राप्त करने वाले क्षेत्र को, सामग्री प्राप्त करने से पहले आदर्श रूप से एक निश्चित आवृत्ति पर आवश्यक रूप से साफ-सुधरा किया जाए।
- ❑ कोरोना वायरस के विनाश के लिए, बर्तन साफ करने के लिए 60° से. से ऊपर के गर्म पानी या व्यावसायिक सैनिटाइज़र या निर्माताओं द्वारा निर्दिष्ट 70% अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 1% हाइपोक्लोराइट जैसे कीटाणुनाशक का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है
- ❑ सभी सफाई उपकरण, मोप्स, जूते, दस्ताने, एप्रन आदि को उपयोग के बाद और अगले उपयोग से पहले पूरी तरह से साफ और कीटाणुरहित किया जाए।

सामान्य कीटाणुनाशक और सफाई प्रक्रिया

सक्रिय संघटक	सारकृत/ घोल	संपर्क समय	के लिए उपयुक्त	आवृत्ति
क्वाटरनरी अमोनियम कम्पाउंड्स (क्यूएसीएस) जैसे कि बेंजालकोनियम क्लोराइड (बीकेसी), क्वाटर- नैरी मिथाइल व्यूटिरिक एसिड (क्यूएमबीए) आदि।	-	5-10 मिनट	खाद्य संपर्क सतहों,	उपयोग के बाद
			आम स्पर्श बिंदु	प्रत्येक दो घंटे
			भोजन परिसर	प्रत्येक चार घंटे
पेरासीटिक या पेरोक्सी एसिटिक एसिड	500-2000 मि.ग्र./लि.	10 मिनट या लेबल के अनुसार	खाद्य संपर्क सतहों,	उपयोग के बाद या जब आवश्यक हो
			आम स्पर्श बिंदु	प्रत्येक दो घंटे
			भोजन परिसर	प्रत्येक चार घंटे
सोडियम हाइपोक्लोराइट	5000 पीपीएम (यानी. 0.5%) मुफ्त क्लोरीन	10 मिनट	खाद्य संपर्क सतहों,	उपयोग के बाद या जब आवश्यक हो
			आम स्पर्श बिंदु	प्रत्येक दो घंटे
			भोजन परिसर	प्रत्येक चार घंटे
आईसोप्रोपेनोल	70%	2 मिनट	खाद्य संपर्क सतहों,	उपयोग के बाद या जब आवश्यक हो
		2 मिनट	आम स्पर्श बिंदु	प्रत्येक दो घंटे
		30 सेकंड	हैंड सैनिटेशन	जब आवश्यक हो
इथेनॉल	70%	2 मिनट	खाद्य संपर्क सतहों,	उपयोग के बाद या जब आवश्यक हो
		2 मिनट	आम स्पर्श बिंदु	प्रत्येक दो घंटे
		30 सेकंड	हैंड सैनिटेशन	जब आवश्यक हो

* कीटाणुनाशन द्वारा सफाई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए. निर्माताओं द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रसायनों का उपयोग करें।

(सौजन्य: भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (2020))

6. पैकेजिंग सामग्री की सुरक्षित हैंडलिंग

खाद्य पैकेजिंग में शामिल कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, भौतिक अंतर और स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। हाल के शोध ने विभिन्न सतहों पर कोविड-19 वायरस के अस्तित्व का मूल्यांकन किया और सूचना दी गई कि यह वायरस 72 घंटे तक प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर, तांबे पर चार घंटे तक और कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक जीवक्षम रह सकता है। समुद्री खाद्य उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों को सुदृढ़ करे और समुद्री खाद्य श्रमिकों से वायरस से दूषित हो रही खाद्य सतहों और खाद्य पैकेजिंग सामग्री के जोखिम को समाप्त करने या कम करने के लिए खाद्य स्वच्छता सिद्धांतों पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करे। आपूर्तिकर्ताओं को कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर अपनाई जाने वाली अतिरिक्त सावधानियों से भी अवगत कराया जाए।

- ❑ पैकेजिंग सामग्री को साफ और स्वच्छ स्थानों पर रखा जाना चाहिए।
- ❑ पैकेजिंग सामग्री को पर्याप्त सावधानी के साथ निर्दिष्ट क्षेत्र में संग्रहीत किया जाता है और आवश्यकता आधार पर उपयोग किया जाता है।

7. अनुकूलता में रिपोर्ट किए गए सकारात्मक मामले के लिए कार्य योजना

कर्मचारी द्वारा कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के मामले में उठाए जाने वाले कदम

- ❑ यदि कोई कर्मचारी कोविड-19 की पुष्टि करता है, तो संक्रमित कर्मचारी के सभी करीबी संपर्कों को सूचित करना आवश्यक होगा, ताकि वे भी आगे प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए उपाय कर सकें।
- ❑ सीफूड प्रोसेसिंग प्लांट का परिसर, काम करने वाले टेबल, उपकरण, पैकेजिंग सामग्री, टॉयलेट, लॉकर और कमरे जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर, उन्हें अच्छी तरह से साफ और कीटाणुरहित करना चाहिए।
- ❑ सीफूड उद्योग में प्राथमिक संपर्कों में कोई भी कर्मचारी शामिल हो सकता है जो आमने-सामने या भौतिक (यानी स्पर्श) संपर्क में था; कोई भी कर्मचारी जो पुष्टि किए गए मामले के साथ 1 मीटर के भीतर था; किसी ने भी पर्याप्त पीपीई (जैसे दस्ताने, समस्त, सुस्वात्मक कपड़े) के बिना शरीर को किसी भी तरल पदार्थ को साफ किया है; एक ही काम करने वाली टीम या कार्य समूह में कर्मचारियों की पुष्टि की गई स्थिति, और किसी भी कर्मचारी की पुष्टि मामले के रूप में एक ही घर में रहते हैं। पुष्टि किए गए मामले के संपर्क के अंतिम बिंदु से संपर्क 14 दिनों के लिए संगरोध होना चाहिए। यदि वे अपने 14-दिन के अलगवाव काल में किसी भी समय अस्वस्थ हो जाते हैं और कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं, वे एक पुष्ट मामला बन जाएगा, और इस तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के स्वास्थ्य को स्वास्थ्य लाभ तक ट्रेक किया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही काम पर लौटने की अनुमति दी जाएगी और योग्य चिकित्सक द्वारा फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- ❑ यह याद दिलाया जाता है कि स्पर्शोन्मुख वाहकों से कोविड-19 के अनजाने प्रसार को रोकने में मास्क, भौतिक अंतर, हाथ धोने और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

यदि कर्मचारी द्वारा कोविड-19 पॉजिटिव परीक्षण होने पर सीफूड प्रोसेसिंग प्लांट परिसर की स्वच्छता के लिए उठाए जाने वाले कदम

- ❑ जिस क्षेत्र में कार्यकर्ता उपस्थित था और जब उसने तुरंत लक्षणों को दिखाया, वह क्षेत्र बंद कर दिया और क्षेत्र को कीटाणुरहित कर दिया। यदि परीक्षण परिणाम सकारात्मक है, तो परिसर को पूरी तरह से कीटाणुनाशन तक बंद कर दिया जाना चाहिए और दोष - निवारण किया जाना है।
- ❑ वह क्षेत्र जहां कोविड-19 पॉजिटिव कर्मचारी ने काम किया था या उसके

संपर्क में आया हो सकता है। उसे बंद और कीटाणुरहित किया जाए। यूनिट को प्रचलित केंद्रीय / राज्य / जिला प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद रखा जाए।

- ❑ बीमार कर्मचारी के लॉकर और काम करने की जगह को बंद रखें। दोनों क्षेत्रों को साफ और स्वच्छ करें।
- ❑ रोगी के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और परिणाम आने तक अलग से संग्रहीत किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी का परीक्षण नकारात्मक आता है, तो इसे सामान्य कचरे के साथ निपटाया जा सकता है। यदि परिणाम सकारात्मक है, तो उसी के निपटान के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से निर्देश मांगे जाएं।
- ❑ संयंत्र के फिर से शुरू होने पर सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल बनाए रखना जारी रखें।
- ❑ लक्षणों के लिए घटना के दिन मौजूद कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखें।
- ❑ संयंत्र को फिर से शुरू करने के लिए इकाई के पूरी तरह से कीटाणुशोधन का संकेत देने वाला एक प्रमाण पत्र स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों या नामित एजेंसियों से प्राप्त किया जाएगा।
- ❑ परिचालन / विनिर्माण निकासी, विनियामक आवश्यकताओं को बंद होने की अवधि के बाद प्राप्त किया जा सकता है।
- ❑ समुद्री खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को निलंबित करने पर भी शीतल भंडारण और समर्थन मशीनरी के निरंतर काम और रखरखाव किया जा सकता है।

8. प्रलेखन और रिकॉर्ड

इकाई मानक संचालन प्रक्रियाओं को कवर करने वाली प्रलेखित जानकारी को बनाए रखें और यूनिट द्वारा रखे गए एचएससीसीपी मैनुअल में निर्दिष्ट रिकॉर्ड के अलावा कोविड -19 दिशानिर्देशों पर रिकॉर्ड बनाए रखें। सैंपल चेकलिस्ट को अनुबंध के रूप में रखा गया है।

9. संदर्भ:

1. कोविड -19 से सीडीसी (2020) सीफूड प्रोसेसिंग वर्कर्स की सुरक्षा करना। सीडीसी और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन (ओएसएच) से अंतरिम मार्गदर्शन। खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) के परामर्श से विकसित।

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-seafood-processing.html>

2. यूरोपीय आयोग के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय (2020) कोविड - 19 और खाद्य सुरक्षा प्रश्न और उत्तर।

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas_en.pdf

3. भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (2020)। कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा दिशानिर्देश।

https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Guidance_Note_Food_Hygiene_Safety_07_06_2020_Revised_10_06_2020.pdf

4. कोरोना वायरस (कोविड-19), यूके - (2020) पर खाद्य व्यवसायों के लिए मार्गदर्शन

<https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19>

5. एमओएचएफडब्ल्यू (2020) कोविड-19 : कार्यालयों सहित आम सार्वजनिक स्थानों के कीटाणुशोधन पर दिशानिर्देश
<https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionof commonpublicplacesincludingoffices.pdf>
6. एनएसडब्ल्यू खाद्य प्राधिकरण (2020) खाद्य व्यवसाय और कोविड -19 (कोरोनावायरस), एनएसडब्ल्यू खाद्य प्राधिकरण,
<https://www.foodauthority.nsw.gov.au/help/covid-19-advice-for-businesses>
7. डब्ल्यूएचओ (2020) अपने कार्यस्थल को कोविड-19 के लिए तैयार करना, डब्ल्यूएचओ -
<https://www.who.int/docs/default-source/coronavirus/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf>
8. विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, (2020)। कोविड-19 और खाद्य सुरक्षा: खाद्य व्यवसायों के लिए मार्गदर्शन: अंतरिम मार्गदर्शन
<http://www.fao.org/3/ca8660en/CA8660EN.pdf>

10. अनुबंध

समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कोविड -19 नमूना जाँच सूची

(यह केवल उदाहरण प्रयोजन के लिए है। प्रत्येक इकाई अपने कार्यों की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट जाँच सूची तैयार कर सकती है)

नोट :

इस दिशानिर्देश दस्तावेज़ में कोविड-19 महामारी के कारण खाद्य और मानव स्वास्थ्य के खतरों से बचने के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा पालन किए जाने वाले अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा प्रथाओं को शामिल किया गया है। यह दस्तावेज़ एमपीईडीए के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग द्वारा वर्तमान में उपलब्ध मामले की प्रासंगिक जानकारी के संदर्भ में सूचीबद्ध होने के बाद तैयार किया गया है। जैसा कि यह एक नया और विकसित करने वाला विषय है। प्रसंस्करणकर्ता को सलाह दी जाती है कि जब भी प्रासंगिक नई वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध हो, उसी को अपडेट करें।

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	समुक्ति
क	सामान्य	
1	क्या लोडिंग वर्कर, सुपरवाइज़र, ड्राइवर, मैनेजर और अन्य कर्मचारियों सहित कर्मचारी कोविड -19 से अवगत हैं?	
2	क्या प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षित न्यूनतम कर्मचारियों को तैनात किया गया है और योजना बनाई गई गतिविधियों के आधार पर आवश्यकता को अग्रिम में सूचित किया गया है?	
3	क्या क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जाता है?	
4	क्या कंपनी के पास ऐसे कर्मचारियों के इलाज की नीति है जो संक्रमित हो जाते हैं या जिनके रिश्तेदार / सहयोगी संक्रमित हैं? क्या इन नीतियों को कर्मचारियों को सूचित किया गया है?	
5	क्या एक कोविड-19 समन्वयक को नामित किया गया है?	
6	एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का गठन किया जाता है?	
7	क्या आपातकालीन संपर्कों और प्रक्रियाओं की सूची स्पष्ट रूप से बताई गई है और सभी के लिए उपलब्ध है और क्या इसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है?	
8	क्या आपातकालीन तैयारी के हिस्से के रूप में सुविधा में स्थापित आइसोलेशन कमरे निर्धारित किए गए हैं और क्या वे ठीक से बनाए हुए हैं?	
9	क्या कार्यालय ने प्रदान किए गए वाहनों में यात्रा करते समय शारीरिक अंतर सुनिश्चित किया जाता है और इन वाहनों को हर यात्रा के बाद साफ और स्वच्छ किया जाता है?	
10	क्या कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने के स्वास्थ्य- संबंधी उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है?	
11	क्या बैठक कक्ष का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब प्रतिभागियों के बीच 2 मीटर की दूरी रखी जा सकती है?	
12	दोपहर के भोजन समय बाधित हो गए हैं और 2 मीटर की दूरी पर कैफेटेरिया टेबल पर कर्मचारी बैठने की अनुमति देने में कामयाब रहे ?	
13	क्या गैर संपर्क थर्मल स्कैनिंग चेक एंट्री पॉइंट पर किया जाता है? (हाई रीडिंग के दिन से तापमान 99.50°से/ 37.50°से वाले लोगों को 7 दिनों के लिए इस सुविधा की अनुमति नहीं है)	
14	क्या कर्मचारियों से स्व-घोषणा यह जानने के लिए एकत्र की जाती है कि वे या उनके परिवार के किसी सदस्य या सहयोगी जिनके साथ वे रह रहे हैं, कोविड -19 के कोई लक्षण दिखा सकते हैं?	
15	क्या कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट आधारित बायो-मेट्रिक अटेंडेंस को बंद कर दिया गया है? (उपस्थिति सुरक्षा / नामित प्रतिनिधि द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए चिह्नित की जाती है कि कर्मचारी रजिस्टर और पेन नहीं संभालते हैं)	
16	क्या सुरक्षा गार्ड द्वारा सभी कर्मचारियों, ड्राइवरों, स्थायी और ठेका संबंधि कर्मचारियों की यात्रा का इतिहास इकट्ठा किया है ?	
17	कोविड 19 के लिए जागरूकता और एहतियात के पोस्टर, प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए हैं ?	
18	क्या सभी प्रवेशकर्ता मास्क पहनते हैं और परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को साफ करते हैं ?	

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	समुक्ति
19	क्या मोबाइल नंबर, और पते सहित आगंतुकों के विवरण एकत्र करने के लिए एक रजिस्टर रखा गया है? (किसी भी फ्लू जैसे लक्षणों और यात्रा के इतिहास के बारे में स्व-घोषणा भी एकत्र की जाती है)।	
20	क्या गेट / एंट्री पॉइंट के पास हाथ / पैर धोने के स्थान दिए गए हैं?	
21	क्या गेट के पास अतिरिक्त धुलाई स्थान हैं या सुविधा के अन्य अलग बिल्डिंगों में प्रवेश स्थल उपलब्ध हैं?	
22	क्या प्रवेश/निकास के दौरान और परिवहन के लिए प्रतीक्षा करते समय गेट पर न्यूनतम 2 मीटर की भौतिक दूरी बनाए रखी जाती है?	
23	क्या आवश्यक संख्या में साफ किए गए वर्दी, मास्क, दस्ताने आदि को ठीक से संग्रहीत किया जाता है?	
24	क्या इस्तेमाल किए गए मास्क, दस्ताने आदि को डिस्पोज करने के लिए बंद डस्टबिन दिए गए हैं?	
25	क्या कर्मचारियों को दैनिक स्वच्छ वर्दी प्रदान की जाती है? (सुनिश्चित करें कि कर्मचारी रोज वर्दी को डिजैट और पानी से धो रहा है)	
26	क्या पर्यवेक्षकों को चिकित्सा मुद्दों (सर्दी, खांसी, बुखार आदि) की निगरानी के लिए नामित किया गया है?	
27	क्या चेंज रूम और लॉकर क्षेत्र में न्यूनतम 2 मीटर की भौतिक दूरी बनाए रखी जाती है?	
28	क्या प्रत्येक ब्रेक के बाद दस्ताने बदल दिए जाते हैं?	
29	क्या हर 2 घंटे में साबुन और पानी से हाथ धोने की अनुमति देने के लिए हाथ धोने की बारंबारता बढ़ाई जाती है?	
30	क्या साबुन और हाथ से न चलाने वाले नल आसानी से उपयोग के लिए कई स्थलों पर उपलब्ध पानी के साथ हैं?	
31	क्या दरवाजे के हैंडल, पैकेजिंग टेबल और वर्किंग टेबल और अन्य उच्च स्पर्श स्थल हर 4 घंटे में उचित सैनिटाइजिंग / सफाई एजेंटों के साथ साफ होते हैं?	
32	क्या क्षेत्र-वार विनिर्माण और मानव सीमांकन शेड्यूल तैयार करना जहां कहीं भी संभव हो, मानवीय बातचीत को कम करने के लिए तैयार है?	
33	क्या पूर्व प्रसंस्करण हॉल, प्रसंस्करण हॉल और पैकेजिंग हॉल में न्यूनतम 2 मीटर की दूरी के साथ भौतिक अंतर का अभ्यास किया जाता है ?	
34	क्या कार्यालय की जगह, कर्मचारियों की कैंटीन, सेवा क्षेत्र, आदि को साबुन और पानी से रोजाना साफ किया जाता है, और सतह पर आधारित 70s अल्कोहल (डब्लू / डब्लू) जैसे ताजा तैयार किए गए 1s हाइपोक्लोराइट घोल या किसी अन्य अनुमोदित कीटाणुनाशक का उपयोग कर कीटाणुरहित किया जाता है?	
35	क्या उच्च उपयोग वाले क्षेत्रों को दैनिक रूप से ताजा तैयार किए 1s हाइपोक्लोराइट से साफ किया जाता है ?	
36	क्या उत्तराई में लगे कर्मचारी मास्क पहनते हैं और उत्तराई से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोते और साफ करते हैं ? केवल आरक्षित न्यूनतम कर्मचारियों को ही तैनात किया जा सकता	
37	क्या लोडिंग से पहले वाहनों को सैनिटाइज किया जाता है?	
38	क्या कच्चे माल की लोडिंग से पहले क्रेट्स की अच्छी तरह से सफाई और स्वच्छता की जाती है ?	
39	क्या खेत और लैंडिंग केंद्रों पर सभी कर्मचारी यथोचित मास्क पहनते हैं ?	
40	क्या मंडारण क्षेत्रों को नियमित रूप से साफ किया जाता है और आवश्यकतानुसार सफाई की जाती है?	
41	क्या पैकेजिंग सामग्री को उपयोग करने से पहले 72 घंटे की अवधि के लिए अलग रखा गया है ?जवाहन प्रेषण	
42	क्या कर्मचारियों और ड्राइवरों को दस्तावेजों की न्यूनतम हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है?	
43	क्या सरकार द्वारा घोषित हॉट स्पॉट के माध्यम से यात्रा केवल औपचारिक अनुमोदन के साथ, और अतिरिक्त स्वच्छता और कीटाणुशोधन उपायों के साथ की जाती है?	
44	कार्गो को लोड करने से पहले रीफ्रिज कंटेनर को सैनिटाइज और कीटाणुरोधित किया जाता है?	
45	क्या वाहन और क्रेट्स प्लेकरेफ कीटाणुरहित कच्चे माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं?	
46	क्या बीमारी के लक्षणों के लिए ड्राइवरों की जाँच की जाती है और थर्मल स्कैनिंग से गुजरना पड़ता है?	
47	क्या ड्राइवरों ने मास्क पहने हुए हैं और वाहन को रोकने या अनावश्यक रूप से वाहन से बाहर निकलने का निर्देश नहीं दिया है?	
48	क्या ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अज्ञात व्यक्तियों को वाहन में अनुमति न दें ?	
49	नियंत्रण क्षेत्र / हॉट स्पॉट से गुजरने वाले वाहनों के चालकों को कारखाने के भीतर वाहन से उतरने की अनुमति नहीं है? क्या यह जाँच सुनिश्चित करने के लिए जगह है ?	
50	क्या यह सुनिश्चित करने के लिए एक जांच की जा रही है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में पार्क किए गए एक नियंत्रण क्षेत्र से जाने वाले वाहनों को अच्छी तरह से कीटाणुरहित किया है ?	
51	जब कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए वाहन निकलने पर प्रोसेसिंग प्लांट से बर्फ को लोड किया जाता है तब क्या आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है ?	
52	तैयार उत्पादों को लोड करने से पहले ट्रेलर ट्रकों और कंटेनरों को कीटाणुरहित कर दिया जाता है?	
53	मार्ग में किसी भी संदूषण से बचने के लिए क्या सुविधा छोड़ने से पहले कंटेनरों को सील कर दिया जाता है ?	
54	यदि कोई कर्मचारी कार्य के दौरान कोविड लक्षणों से बीमार पड़ता है, तो कर्मचारी को अलग रखा जाता है, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सूचित किया जाता है। क्या ऐसे कर्मचारी की प्रगति पर नज़र रखी जाती है ?	
55	क्या सहकर्मी जिसने निकटता से काम किया उस संक्रमित व्यक्ति ने संसर्ग कर लिया है?	

11. समुद्री खाद्य उद्योग द्वारा पालन की जाने वाली अतिरिक्त प्रक्रियाएं।

सभी निर्धारित गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (जीएमपी), गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस (जीएचपी) और सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसीजर (एसएसओपी) और एचएसीसीपी सिस्टम लागू होने चाहिए। उनके अलावा, निम्नलिखित मुद्दों को कोविड-19 के विशिष्ट संदर्भ के साथ सुझाया गया है।

अतिरिक्त कोविड -19 एसओपी

क. मत्स्यन यान प्जहाज)

1. मत्स्यन जहाजों के सभी कर्मीदलों की किसी भी दृश्य कोविड-19 लक्षणों के लिए जाँच की जानी चाहिए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मीदल स्वस्थ हैं।
2. कर्मीदल का विवरण यात्रा से पहले अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा, और जहां से यात्रा शुरू हुई है, उसी मत्स्यन बंदरगाह पर जहाज की वापसी सुनिश्चित करें।
3. मत्स्यन जहाजों को मत्स्य पकड़ने के लिए निकलने से पहले कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
4. पोत के मालिक को सूचित करें और किसी भी कर्मी दल में कोविड-19 संबंधित लक्षणों को नोटिस करने पर तुरंत बंदरगाह पर वापस लौटाए।
5. मत्स्य पकड़ने के जहाज में सभी कर्मी दल सदस्यों की फोटो पहचानपत्र रखी जाए।
6. कर्मीदल की संख्या को कम करना।
7. पूरे यात्रा के दौरान कर्मीदल की दैनिक आधार पर निगरानी की जाएगी।
8. मछली पकड़ने और काम करने के दौरान कर्मीदल मास्क और दस्ताने पहनेंगे।
9. कर्मीदल व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखेगा।
10. कर्मीदल के उपयोग के लिए पर्याप्त साबुन और सैनिटाइज़र प्रदान किया जाएगा।
11. कर्मीदल ईंधन और अन्य आपूर्ति इकट्ठा करते हुए काम, अवकाश के दौरान सामाजिक अंतर सुनिश्चित करेगा।
12. जहाज में लोगों के अनावश्यक प्रवेश से बचा जाए।
13. बंदरगाह परिसर में कर्मीदल के अनावश्यक आंदोलन से बचें।
14. मछली पकड़ने के जहाज और गियर को अनलोडिंग के बाद कीटाणुरहित करना चाहिए।
15. ट्रक में पैकिंग और लोडिंग से पहले क्रेट्स और बक्से कीटाणुरहित होने चाहिए।

ख. लैंडिंग केंद्र

1. बन्दरगाह में अनावश्यक आगंतुकों से बचें।
2. लैंडिंग केंद्रों में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश स्थल पर कोविड -19 के किसी भी दृश्य लक्षण के लिए जाँच की जाएगी और उनके संपर्क विवरण और यात्रा इतिहास को नोट किया गया है।
3. बंदरगाह / लैंडिंग केंद्र में प्रवेश करनेवाले लोगों के लिए के प्रवेश द्वार पर संपर्क नंबर के साथ एक रजिस्टर बनाए रखें।
4. मजदूरों की संख्या कम से कम करना।
5. सभी कर्मचारी स्वच्छता के सामान्य उपायों का पालन करेंगे।
6. सभी बंदरगाह के अंदर मास्क और दस्ताने पहनेंगे और काम के दौरान सामाजिक अंतर सुनिश्चित करेंगे।
7. हाथ धोने की सुविधा के साथ साबुन और पानी पर्याप्त संख्या में प्रदान किया जाएगा।

8. सभी वाहनों, ट्रॉलियों, क्रेटों, आइस क्रशर, फावड़ियों आदि को उचित रूप से कीटाणुरहित कर दिया है।
9. बंदरगाह परिसर का आवधिक कीटाणुशोधन किया जाएगा।
10. बंदरगाह / लैंडिंग केंद्रों में अनावश्यक इकट्ठा होने से बचें।
11. काम समाप्त होते ही मजदूर और मछुआरे बंदरगाह से निकल जाएंगे।

ग. एक्वाकल्चर फ़ार्म

1. केवल सीमित मजदूरों / कर्मियों को ही खेतों तक जाने की अनुमति होगी। जनसमूह की भीड़ की अनुमति नहीं है।
2. खेत के प्रवेश द्वार पर संपर्क नंबर के साथ मजदूरों के प्रवेश के लिए एक रजिस्टर रखें।
3. कोविड-19 संक्रमण के लक्षणों के लिए खेत के सभी कर्मचारियों की जाँच की जाएगी।
4. मजदूरों, तकनीशियनों आदि को कोविड -19 जागरूकता प्रदान किया जाना है।
5. खेत में सभी मजदूर मास्क पहनेंगे और सामाजिक अंतर प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
6. सभी मजदूरों को स्वच्छता के सामान्य उपायों का पालन करना चाहिए।
7. फ्रीड और अन्य आदानों को एक स्वच्छ कमरे / स्टोर में संग्रहीत किया जाना चाहिए और मास्क और दस्ताने पहने हुए मजदूरों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।
8. खेत में हार्वैस्टिंग और पोस्ट हार्वैस्ट हैंडिलिंग स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करके की जानी चाहिए - हाथ धोना, मास्क पहनना और 1% क्लोरीन युक्त स्वच्छ पानी से सामग्री को धोना चाहिए।
9. हार्वैस्ट किए हुए सामग्री को सैनिटाइज़्ड क्रेट और सैनिटाइज़्ड वाहनों में हैंडल करना चाहिए।
10. यह निर्धारित किया जाए कि कच्चे माल को लोड करने से पहले वाहन कीटाणुरहित किया गया है।

ड. बर्फ का संयंत्र

1. समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ता सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन बाद स्वीकृत बर्फ संयंत्रों से बर्फ की खरीद कर सकते हैं।
2. कोविड-19 जागरूकता ड्राइवर, तकनीशियन आदि सहित मजदूरों को प्रदान की जाए।
3. बर्फ संयंत्र के प्रवेश द्वार पर संपर्क नंबर के साथ मजदूरों के प्रवेश के लिए एक रजिस्टर बनाए रखें।
4. बर्फ से निपटने वाले मजदूरों की कोविड-19 लक्षणों की जांच की जाती है और उन्हें दस्ताने और मास्क पहनना चाहिए। वे सामाजिक अंतर के मानदंडों का भी पालन करेंगे।
5. बर्फ का परिवहन करने वाले वाहन बर्फ के परिवहन के लिए उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से कीटाणुरहित करते हैं।
6. बर्फ से निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले आइस क्रशर, कन्वेयर, क्रेट, फावड़े आदि को प्रत्येक उपयोग से पहले कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
7. कोविड -19 के लक्षणों के लिए ड्राइवर और कर्मीदल की जाँच की जाती है और उनके शरीर के तापमान को बर्फ से लोड होने से पहले वाहन से संपर्क करने वाले तापमान स्कैनर का उपयोग करके जांच की जाती है।
8. ड्राइवर को निर्देश दिया जाता है कि वे जहां तक संभव हो हॉट स्पॉट या नियंत्रण क्षेत्र से यात्रा करने से बचें।

ड. समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ

- लोडिंग वर्कर्स, सुपरवाइज़र, ड्राइवर, मैनेजर और अन्य कर्मचारियों सहित मजदूरों को कोविड-19 जागरूकता प्रदान की जाएँ ।
- प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम कर्मचारी तैनात किए जाएँ और योजना बनाई गई गतिविधियों के आधार पर आवश्यकता को अग्रिम में सूचित किया जा सकता है ।
- प्रत्येक कर्मचारी को क्षेत्र विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।
- कर्मचारियों को तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाए जब वे या उनके परिवार के किसी सदस्य या सहयोगी जिनके साथ वे रह रहे हों, कोविड-19 के किसी भी लक्षण को देखा जाएँ ।
- जो संक्रमित होते हैं या जिनके रिश्तेदार / सहयोगी संक्रमित होते हैं, उन कर्मचारियों के इलाज के लिए कंपनी अपनी नीति बना सकती है । कर्मचारियों को बीमारी की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इन नीतियों को अनुकूल माना जाना चाहिए ।
- इकाई / अनुभाग के लिए जैसा कि मामला हो कोविड-19 समन्वयक नामित करें ।
- एक आपातकालीन अनुक्रिया टीम का गठन किया जाना है ।
- आपातकालीन संपर्कों की सूची और प्रक्रियाएँ स्पष्ट रूप से बताई जाएँ और सभी के लिए उपलब्ध करायी जाएँ और यदि आवश्यक हो तो प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए ।
- संलग्न शौचालयों और अपशिष्ट संग्रह सुविधाओं के साथ कम से कम 2 अलग कमरे स्थापित करें ।
- कर्मचारियों से कहा जाएँ कि वे हॉस्टल में भौतिक अंतर बनाए रखें और उनसे मोबाइल, पेन, कंगी आदि व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा न करने के लिए कहा जाए ।
- छात्रावासों में साबुन और साफ पानी से हाथ धोने की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
- कंपनी द्वारा व्यवस्था किए गए वाहनों द्वारा आने वाले कर्मचारियों के लिए, परिवहन के दौरान और वाहन का इंतजार करते हुए भौतिक अंतर सुनिश्चित किया जाए ।
- सार्वजनिक परिवहन द्वारा आने वाले कर्मचारियों को उनकी यात्रा के दौरान भौतिक अंतर बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिया जाएँ ।
- सुरक्षा या नामित कर्मियों द्वारा उपस्थिति अंकित करने और गेट पर बिना-संपर्क शरीर के तापमान स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएँ ।
- परिसर में प्रवेश के तुरंत बाद हाथ धोने / स्वच्छता स्टेशन प्रदान करें ।
- शिफ्ट की टाइमिंग अव्यवस्थित हो सकती है ताकि सभी कर्मचारी एक ही समय में प्रवेश न करें ।
- प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, कोविड-19 के दृश्य लक्षणों के लिए एक बार फिर से कर्मचारियों की जांच की जानी है और वही दर्ज किया गया है ।
- स्वास्थ्य कर्मियों को सूचित किया जाए कि दृश्य लक्षण दिखाई देने वाले वे कर्मचारी, शारीरिक रूप से अलग कक्ष में अलग रहे, और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाए । ऐसे मजदूरों को घर जाने की अनुमति नहीं होगी ।
- चेंज रूम में मास्क सहित स्वच्छ वर्दी प्रदान की जाएगी, खाना पकाने के क्षेत्र और पैकिंग क्षेत्र जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को दस्ताने, फेस शील्ड प्रदान किए जाएंगे ।
- मजदूर हर 2 घंटे में अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे, और व्यक्तिगत रूप से जाएंगे और समूहों में नहीं जाना है ।
- ब्रेक को भी बाधित किया जाना चाहिए ताकि केवल सीमित कर्मचारी ही चेंज रूम और कैंटीन जैसी सामान्य सुविधाओं का उपयोग करें ।
- वापस लौटने के दौरान भी मजदूर भौतिक अंतर बनाए रखें ।
- सभी वाहनों और क्रेट्स उचित रूप से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए ।
- यदि बर्फ को प्रसंस्करण संयंत्र से लोड किया जाता है, तो सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए ।
- यह सुनिश्चित करें कि कच्चे माल / मजदूरों के संग्रह के लिए सभी कंपनी वाहनों को आगे प्रस्थान करने से पहले ठीक से कीटाणुरहित कर दिया जाए ।
- पैकेजिंग सामग्री को पर्याप्त सावधानी के साथ निर्दिष्ट क्षेत्र में संग्रहीत किया जाना चाहिए और आवश्यकता आधारित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए ।
- पैकेजिंग सामग्री को साफ और स्वच्छ स्थानों पर रखा जाना चाहिए ।
- चालक और अन्य जो कंपनी के वाहन से यात्रा कर रहे हैं उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अन्य लोगों के साथ काम करते समय बीच में अनावश्यक रोके नहीं और भौतिक अंतर को बनाए रखें ।
- ड्राइवर और अन्य जो कंपनी के वाहन से यात्रा कर रहे हैं उन्हें मास्क पहनने और अवांछित सतहों को छूने से बचने का निर्देश दिया जाता है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे अन्य अज्ञात लोगों को वाहन में आने की अनुमति न दें ।
- सभी कर्मी दल और ड्राइवर के गेट तक पहुँचने के बाद कोविड -19 के लक्षणों की जाँच की जाएगी और गैर-संपर्क तापमान स्कैनर का उपयोग करके उनके शरीर के तापमान की जाँच की जाती है ।
- जहाँ तक संभव हो ड्राइवर हॉट स्पॉट या दूषित जोन से गुजरने से बचें । दूषित क्षेत्र में रोक के कोई नियम का पालन नहीं किया जाएगा ।
- यदि वाहन हॉट स्पॉट या दूषित जोन से गुजरता है, तो अनलोडिंग प्लतराईफ के लिए जाने से पहले वाहनों को आगमन पर तुरंत कीटाणुरहित कर दिया जाएगा ।
- अन्य आपूर्ति में लाने वाले सभी वाहनों के ड्राइवर / कोविड -19 के लक्षणों के लिए कंटेनरों की जांच की जानी चाहिए और वाहन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
- सभी अनावश्यक आगंतुकों और अन्य समूहों को प्रोत्साहित ना करें ।
- डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से बैठक को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।
- कोविड -19 के लक्षणों के लिए सर्विस इंजीनियरों, नियामक एजेंसियों के अधिकारियों जैसे अपरिहार्य आगंतुक और उनके यात्रा इतिहास की रिपोर्ट करने के लिए कहा जाए और सुरक्षा हेतु उनके पास उपलब्ध प्रारूप में दर्ज किया जाए ।
- आगंतुकों के सभी विवरण मोबाइल नंबर और पता सहित एक रजिस्टर में बनाए रखें ।
- ट्रेलर ट्रकों और कंटेनरों को लोड करने से पहले कीटाणुरहित होना चाहिए ।
- किसी भी संदूषण मार्ग से बचने के लिए सुविधा छोड़ने से पहले कंटेनर को सील कर दिया जाना चाहिए ।
- यदि पोर्ट/सीमा शुल्क पर किसी भी निरीक्षण की आवश्यकता है, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है ।

कोविड 19 विशिष्ट दिशानिर्देशों के अलावा, स्वयं जांच प्रणाली के आधार पर निर्धारित गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (जीएमपी), अच्छी प्रयोगशाला प्रैक्टिसेस (जीपीएल), गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस (जीएचपी) और सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसएसओपी) के आधार पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी प्रसंस्करण प्रतिष्ठान एचएसीसीपी का पालन करेंगे ।

श्री विनोद वी, उप निदेशक

एवं

डॉ बिजी के वी,

कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी





श्रीमान श्रिम्प

श्रीमान श्रिम्प : हलो / नमस्ते, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं हूँ एक श्रिम्प! आप मुझे श्रिपी कह सकते हैं। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन जहाँ पर सुरक्षा की बात आती है, वहाँ मैं बड़ा ही सख्त हूँ! इन अनिश्चित परिस्थितियों में हम साथ मिल कर भारतीय समुद्री खाद्य को संपूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे।

श्रीमान श्रिम्प : तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए?

श्रीमान श्रिम्प : चलिए शुरुआत करते हैं बंदरगाह से! अगर आप इस के प्रभारी हैं, तो आप को इन नियमों को कार्यान्वित करना होगा।

1. अधिक भीड़ जमा नहीं चाहिए।



2. आगंतुकों का और कर्मचारियों का ब्योरा दर्ज करना



3. लदान, माल उतराई और छंटाई के लिए कम से कम कर्मीदल



4. विक्रेताओं और खरीदारों के बीच पारस्परिक दूरी बनाए रखना



5. हर जगह पर व्यक्तिगत स्वच्छता केंद्र का मौजूद होना





6. संपूर्ण परिसर और सुविधा को नियमित रोगाणुमुक्त करना



श्रीमान श्रिम्प : हेलो, यह हैं मेरे सुपरहीरो! क्यूँ? अभी बताता हूँ।

7. कम से कम संख्या में और स्वस्थ कर्मिदल जिन्होंने ने दस्तानेऔर मास्कपहने हैं



8. कर्मिदल के सदस्यों की जानकारी का रजिस्टर



9. एक ही मत्स्यन बंदरगाह से आगमन और प्रस्थान



10. हर जलयाना के पहले और बाद में कीटाणुशोधन



11. जहाजों पर साबुन और प्रक्षालक (सैनिटाइज़र) रखना



श्रीमान श्रिम्प : शुद्ध, साफ सुथरे बर्फ से हमारा उत्पाद बिलकुल तरोताजा और सुरक्षित रहता है।

श्रीमान श्रिम्प : हमारी सभी हैचरियों को सुरक्षित रखना अत्यावश्यक है, ताकि हमारे उत्पाद के लिए हर समय अच्छी मांग बनी रहे।

12. कर्मचारी वर्ग से संपर्क करने के लिए उनकी पूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिए



13. कम से कम कर्मचारी वर्ग



14. हर जगह पर व्यक्तिगत स्वच्छता केंद्र का मौजूद होना



15. चारा और अन्य आवश्यक सामानों का रोगाणुमुक्त कमरों में संग्रहण



श्रीमान श्रिम्प : अब हम चलेंगे जैवसुरक्षित की ओर कम से कम कर्मचारीवर्ग पारस्परिक दूरी



कर्मचारियों की जानकारी का रिकार्ड दस्ताने, मास्क और जूते पहनना

16. पैदावार और पैदावारोत्तर प्रोटोकाल का पालन करना



17. सुविधा और वाहनों को नियमित रूप से रोगाणुमुक्त करना



18. नियंत्रण क्षेत्र में से हो कर परिवहन की मनाही



श्रीमान श्रिम्प : जहाँ स्थानिक और आंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए हमारी पकड़ के प्रसंस्करण की बात आती है, वहाँ यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि, हम कड़े सुरक्षा उपायों का पालन करें.

थर्मल स्केनिंग

साफ सुथरी रोगाणुमुक्त वर्दियाँ और जूतेदस्ताने और मास्कस्वच्छता, फूट-डिप और हैंड-डिप (हाथ और पैरों के लिए सैनिटाइज़र डिप)



19. एचएसीसीपी जाँच पद्धति



20. कम से कम कर्मचारीवर्ग



21. अंतराल दे कर नियोजित किया हुआ काम का समय



22. पैकिंग और खाना बनाने वाले क्षेत्रों में फेसशील्ड



23. अतिरिक्त कोविड-19 शिष्टाचार और रिकोर्ड्स



24. पैकिंग का सामान रोगाणुमुक्त कमरों में रखना



25. प्रसंस्कृत और पैक किए गए माल के लिए शीत भण्डार. बाप रे ... कितनी ठंड है यहाँ पर!



26. सुविधा और वाहनों को नियमित रूप से रोगाणुमुक्त करना



श्रीमान श्रिम्प : अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सुरक्षा के नियमों का पालन करना कितना आसान है। चलिए हम अपने उत्पाद, अपने रोजगार और अपने भविष्य को रखें सुरक्षित।



डॉ जिबिन कुमार टी आर
उप निदेशक



लॉकडाउन के बारे में एक कविता

एक वायरस आ गया,
अधिकारियों ने कहा, चिंता मत करो ।
वायरस फैल गया ।
अधिकारियों ने कहा, ये चला जाएगा ।
बीमार पडा,
अधिकारियों ने कहा, ये तो कुछ नहीं ।
वायरस ने मारा,
अधिकारियों ने कहा, अब समय है लॉकडाउन का ।

नहीं थकेंगे, नहीं चूकेंगे
रहेंगे हम एक साथ
करेंगे हम मुकाबला कोरोना वायरस से,
और जीतेंगे इस बार ।

यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा
एक दिन बीता सुन्दर समय लौट आयेगा
हम याद करेंगे इस समय को
जब हमने एक साथ किया था सामना
दोस्त, परिवार, समुदाय के रूप में
कोरोना जैसी आपदा का ।

अभिध्रेया. के. एस,
सुपुत्री श्रीमती वीणा.के.पी,
वरिष्ठ लेखाकार





सत्यनिष्ठा और सरकारी कर्मचारी

सत्यनिष्ठा/ईमानदारी/प्रामाणिकता/अखंडता शब्द का अर्थ है संपूर्ण या पूर्ण। यह शब्द पूर्णांक से संबंधित है, जिसका अर्थ है पूर्णसंख्या, अंश या आंशिक संख्या नहीं। सत्यनिष्ठा खंडित होने के बजाय एकीकृत होने की स्थिति का भी उल्लेख कर सकती है। अखंडता का अर्थ जुड़ा हुआ भी हो सकता है, पृथक, विक्षिप्त या मनोविकार के बजाय स्पर्श या अच्छी तरह से समन्वित में भी जुड़ा हुआ हो सकता है। सत्यनिष्ठा भी एक व्यक्ति के जीवन और जीवन शैली में संतुलित होने को दर्शाता है।

सत्यनिष्ठा ईमानदार होने और मजबूत नैतिक और नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप और निरंतर पालन दिखाने का अभ्यास है। नैतिकता में सत्यनिष्ठा को किसी के कार्यों की ईमानदारी और सच्चाई या सटीकता के रूप में माना जाता है।

सत्यनिष्ठा एक व्यक्ति या संगठन का एक जागरूक

विकल्प है जो लागू नियमों और विनियमों, मानदंडों, संस्कृति, मूल्यों और कानून एवं समाज के मूल्यों द्वारा विनियमित नैतिक मानकों के अनुसार लगातार कार्य करता है। एक सरकारी संगठन सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों के अनुसार काम कर सकता है जो कि सुशासन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अखंडता कानून में विनियमित होते हैं। सुना है नैतिक और नैतिक विश्वास और बुनियादी ईमानदारी एक कर्मचारी में अत्यधिक मूल्यवान विशेषताएं हैं। ऐसा कर्मचारी अपने सहकर्मियों, अपने वरिष्ठों और संगठन के अन्य सभी हितधारकों के साथ नैतिक व्यवहार करता है।

जब हम ईमानदारी के साथ जीते हैं, हम अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीते हैं। हम अपने तरीके से जीने का सम्मान करते हैं जो हमारे मूल्यों, उद्देश्य और लक्ष्यों के अनुरूप है। हम स्वस्थ, सहायक संबंधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपसी विश्वास और सम्मान

पर आधारित हैं। हममें से ज्यादातर लोग शायद खुद को ईमानदार व्यक्ति के रूप में समझते हैं।

सत्यनिष्ठा संपूर्ण और अविभाजित होने की स्थिति है ~ जैसे हम निजी रूप में हैं, वैसे सार्वजनिक रूप में हैं। जिन चीजों को हम घर पर करने के लिए चुनते हैं, उन्हें हम निजी, व्यक्तिगत कहते हैं और किसी के व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम अपने घर पर रहते हैं तो एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। निजी तौर पर, हम अपने मूल्यों और आदर्शों को केवल इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम घर पर हैं। हमारे महत्वपूर्ण मूल्य यह दर्शाते हैं कि हम कौन हैं - न कि हम क्या बनना चाहते हैं। हमारा मानना है कि व्यवसाय के महत्वपूर्ण मूल्यों को दिन-प्रतिदिन की वास्तविकता के रूप में देखना चाहिए कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। और ईमानदारी और अखंडता को सबसे ऊपर रखते हुए, यह सब हमारे दूसरे महत्वपूर्ण मूल्यों से शुरू होता है।

जब हम महान नेताओं का अध्ययन करते हैं, तो हम उनमें से प्रत्येक में एक निरंतर चरित्र गुण देखते हैं -सत्यनिष्ठा। महान नेता मॉडल को अखंडता से खड़ा करते हैं, जो सही है वही करते हुए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, ईमानदारी का नमूना पेश करते हैं। सत्यनिष्ठा होने का मतलब है कि हमारी कंपनी और उसके द्वारा सेवा करने वाले लोगों की व्यक्तिगत भलाई पर ध्यान केंद्रित करना। आज के विश्वव्यापी डिजिटल बाज़ार में, इस लड़ाई का नाम ब्रांड इंटीग्रिटी है। इसमें विशेषकर उच्च कैडर में सरकारी कर्मचारियों का चरित्र सुसंगत होना चाहिए।

हम सभी को बचपन से ही ईमानदार बनने की सीख दी जाती है - ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे व्यावहारिक जीवन में भी इसे नहीं लाया जाना चाहिए। सिद्धांत के रूप में न केवल ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बल्कि यह अच्छी व्यावसायिक समझ भी रखती है। जब हम ईमानदार होंगे, तो हमारे ग्राहक इसके लिए

हमारा सम्मान करेंगे - और वे वापस आते रहेंगे।

झूठ बोलना, धोखा देना, बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, उतावलापन या अनादर करना इस सत्यनिष्ठा या पूर्णता की गुणवत्ता को नष्ट करने की प्रवृत्ति है, इसलिए एक कर्मचारी जो सत्यनिष्ठा में रहना चाहता है, इनसे बचे रहे।

यदि हम देखते हैं कि हमारा कोई विचार या व्यवहार सही नहीं है, तो ईमानदार व्यक्ति इसे स्वीकार करता है और बदलता है, जो दुनिया को असंगत लगता है। उच्च दृष्टिकोण से, ईमानदारी में बने रहने के लिए बस यही करना चाहिए।

ईमानदार व्यक्ति असंतुलित या अकेंद्रित या निराधार लग सकता है, क्योंकि व्यक्ति को सत्यनिष्ठा में रहने के लिए किसी विशेष समय पर एक निश्चित व्यवहार की आवश्यकता हो सकती है।

सच्चाई ईमानदारी से अलग है। ईमानदारी का संबंध किसी की वाणी और शायद कार्यों से है। सत्य एक परम और अस्पष्ट विषय है जिसका संबंध किसी भी समय उच्चतम ज्ञान की खोज और और उसके द्वारा निर्देशित होने से है।

सत्यनिष्ठ व्यक्ति सत्य को जीने और जीवन की सच्चाई का पालन करने से बहुत अधिक भयभीत नहीं होता है, भले ही वह कभी भी महान आर्थिक या अन्य पुरस्कार न लाए, और भले ही इसके सिवाह उसे तिरस्कार, अपमान और शायद चोट भी सहनी पड़े।

सत्यनिष्ठा से जीने के लिए, हमें समाचारों के कई स्रोतों को भी सुनना चाहिए, और कुछ हद तक मुख्य धारा से बाहर किताबें या कम से कम समाचारपत्रों को पढ़ना चाहिए और मार्गदर्शन, ज्ञान और सच्चाई के लिए अक्सर प्रार्थना करें।

कुछ मामलों में, अखंडता में रहने के लिए भी शारीरिक और पोषण संबंधी उपचार की आवश्यकता हो सकती है, जब किसी की स्मृति और मस्तिष्क के अन्य

कार्य अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो किसी के विचारों और जीवन शैली की जांच करना मुश्किल होता है।

ईमानदारी में जीने के लिए भी एक निश्चित मात्रा में साहस और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है।

जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमें यह समझना शुरू करना चाहिए कि कैसे एक संपूर्ण और एकीकृत तरीके से जीना है। सत्यनिष्ठा से जीने से ज्ञान, समृद्धि, आराम मिलता है, जो आमतौर पर स्वास्थ्य और लंबे जीवन का एहसास होता है। जब कोई भी नहीं देख रहा होता है, तब भी सत्यनिष्ठा सही काम करती है।

यह सत्यनिष्ठा ही इस देश में सबसे बड़ी संपत्ति है, तेल और गैस नहीं।

ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। यह कुछ ऐसा है जो एक संरचना के पास

हो सकता है और यह एक ऐसी चीज है जो उसके पास कई अन्य चीजों के साथ हो सकती है। जब किसी से पूछा जाता है कि क्या उनके पास ईमानदारी है, तो व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सत्यनिष्ठा के साथ कौनसे गुण जुड़े हैं।

ईमानदारी तब सही काम कर रही है जब कोई और नहीं देख रहा हो। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन अवधारणा को परिभाषित करने के लिए एक सरल व्याख्या है। सत्यनिष्ठा कोई ऐसी चीज नहीं है जो सभी के लिए स्वाभाविक रूप से आती है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान विशेषताओं में से एक है जिसे दूसरे आप में अनुभव कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छी प्रतिष्ठा की तरह, सत्यनिष्ठा से बने विश्वास को तोड़ते हैं, तो इसे फिर से एक सेवायोग्य को बनाने में लंबा समय लगेगा।

ईमानदारी एक उच्च सामाजिक रूप से वांछित गुण है, जैसा कि समाज जानता है कि उन भरोसेमंद, विश्वसनीय और 'ईमानदार' लोगों से क्या उम्मीद की जानी चाहिए।

'प्रामाणिकता' एक और स्तर तक ले जाने वाली अखंडता है, यह न केवल एक व्यक्ति के व्यावहारिक आदर्शों के लिए सही है, बल्कि एक आदर्श की अब तक की गहरी भावनाओं, मूल्यों और प्रतिबद्धताओं का सटीक प्रतिबिंब हैं। प्रामाणिकता व्यवहार, आत्म-धारणा, व्यक्तिगत आदर्शों और सच्चे आत्मीयता का पूर्ण एकीकरण है जो इन सबसे अधिक सतही और बाहर की घटनाओं के पीछे खड़ा है।

यही कारण है कि इतने सारे लोग जो 'अच्छे' लगते हैं, वास्तव में बुरे होते हैं, और इतने सारे लोग जो 'बुरे' लगते हैं, वास्तव में अच्छे होते हैं। कई 'अच्छे' लोग अपने आदर्शों के प्रति इस तरह से प्रतिबद्ध होते हैं जो एक कठोरता और झूठ का कारण बनता है जिससे उनके आस-पास रहना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ, कई लोग जो अनुरूप या शायद भरोसेमंद नहीं



॥ सत्यनिष्ठा ॥

'सत्यनिष्ठा: स्वयं के प्रति, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, शब्द के प्रति, साहित्य के प्रति।'

हैं, फिर भी वे गहरी ईमानदारी, तरलता और अनुग्रह के लिए प्रशंसनीय हैं जो वे अपने जीवन में लाते हैं।

ईमानदारी आपके करियर के निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है जो इसे ध्यान देने योग्य बनाता है। ईमानदारी सही काम कर रही है और उचित समय पर उचित कारण के लिए सबसे अच्छा निर्णय ले रही है। किसी शब्द या गुण को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसके विपरीत को देखना है - पाखंड सबसे अच्छा शब्द है जो मुझे वफ़ादारी के विपरीत के लिए मिला है। आप दूसरों के प्रति सचेत और चिंतित हुए बिना सत्यनिष्ठा का जीवन नहीं जी सकते।

सत्यनिष्ठा एक विशेषता है जिसकी बहुत प्रशंसा की जाती है और एक ऐसा गुण जिसे एक व्यक्ति के रूप में अपने विकास के माध्यम से प्राप्त करने की सबसे अधिक इच्छा होती है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वयं के प्रति सच्चा होना और दूसरों के साथ अपने व्यवहार में ईमानदार, न्यायी और सभ्य होना। जब हम सत्यनिष्ठा द्वारा मार्गदर्शित होते हैं, तो हमारे विचार और शब्द एक दूसरे के अनुरूप होते हैं; हमारे कार्य हमारे सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। सत्यनिष्ठा साहस की मांग करती है लेकिन निर्बाध शांति प्रदान करती है।

सत्यनिष्ठा विकसित करने के लिए आंतरिक ईमानदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम दूसरों के साथ तब तक ईमानदार नहीं हो सकते जब तक कि हम स्वयं के प्रति ईमानदार न हों। इसके लिए आत्म-जागरूकता की आवश्यकता है। ईमानदारी अन्य लोगों को हम पर भरोसा करने की अनुमति देती है क्योंकि वे जानते हैं कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को महत्व देते हैं और उनके द्वारा जीने की कोशिश करते हैं।

किसी संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती है। हम सभी ने व्यक्तिगत, व्यावहारिक और राजनीतिक क्षेत्र में गंभीर समस्याओं को देखा है, जब कोई भी, किसी भी स्तर पर, ईमानदारी

के बिना कार्य करता है। जब किसी संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, तो ग्राहकों और अच्छे कर्मचारियों दोनों का कारुणिक नुकसान होता है।

नैतिकता: नियमों और कानूनों की एक बाहरी प्रणाली है। आमतौर पर जब हम नियमों का पालन करते हैं तो पुरस्कृत किए जाते हैं और जब हम उन्हें तोड़ते हैं तो दंड मिलता है। सत्यनिष्ठा : सिद्धांतों की एक आंतरिक प्रणाली है जो हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। पुरस्कार आंतरिक हैं। ईमानदारी एक दायित्व के बजाय एक विकल्प है। यहां तक कि, सत्यनिष्ठा को बाहरी स्रोतों द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है। सत्यनिष्ठा पूर्णता और शक्ति की भावना व्यक्त करती है।

सत्यनिष्ठा और नैतिकता के बीच एक क्रियाशील संबंध है, जो एक दूसरे को मजबूत या सुदृढ़ करता है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा नैतिकता की नींव है - अच्छी व्यावसायिक नैतिकता सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करती है। एक व्यक्ति जिसने उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की है, संभवतः इन सिद्धांतों को अपने व्यावहारिक जीवन में स्थानांतरित कर देगा।

संगठनों के लिए अपने स्वयं के नैतिक मानकों को स्थापित करना और फिर उनका पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

आत्म-सम्मान, मित्रता और वित्तीय स्थिरता की कमी वाले व्यक्ति के पास ईमानदारी के बिना कार्य करने की सामान्य संभावना से अधिक होती है। उच्च आत्म-सम्मान, एक मजबूत समर्थन प्रणाली और एक संतुलित जीवन वाला व्यक्ति सबसे अधिक ईमानदारी से कार्य करेगा। उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा रखने वाले सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, स्वजन-पक्षपात और चापलूसी में आसक्त नहीं होंगे।

श्री जी राजेंद्रन

उप निदेशक (कार्मिक), सेवानिवृत्त



केरल के पास सिग्नल मछली की नई प्रजाति की खोज

केरल तट के समीप नई प्रजातियों का घर कहे जाने वाले लक्षद्वीप में अनोखी रंग वाली सिग्नल मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति का नाम 'Pteropsaron Indicum' रखा गया है, जिसे समुद्री जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान 70 मीटर की गहराई पर जालदार जहाज़ द्वारा खोजा गया था। केरल विश्वविद्यालय और अमेरिका समुंदर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने सिग्नल मछली की नई प्रजातियों का पता लगाया है, खोजा गया जीनस, भारतीय जल क्षेत्र में खोजा गया इस प्रजाति का पहला जीनस है।



केरल के कायमकुलम शहर में मछली की नई प्रजाति पंटियस डोलिचोपटेरस

केरल के कायमकुलम शहर में मछली की एक नई प्रजाति पंटियस डोलिचोपटेरस का पता चला है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लायड जूलोजी के ताजा अंक के मुताबिक कोल्लम शहर के पास बेबी जॉन मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज के प्राणिशास्त्र विभाग के प्रमुख मैथ्यूज पलामोतिल ने इस नई प्रजाति का नामकरण किया है। नई मछली की यह प्रजाति कायमकुलम शहर के आलप्पुज़ा जिले के एक छोटे जलस्रोत से मिली है। इस मछली का नाम डोलिचोपटेरस-दो ग्रीक शब्द डोलिखोस और पटेरॉन को मिलाकर बनाया गया है। डोलिखोस का अर्थ है लंबा और पटेरॉन का अर्थ है पंख।



केले के पत्ते में मसालेदार तली हुई मछली (करिमीन)

सामग्री

- 1 पर्ल स्पॉट/करिमीन बड़ा
- 2 प्याज मीडियम, कटा हुआ
- 1 टमाटर मीडियम, कटा हुआ
- 1 या 2 हरी मिर्च कटी हुई
- 1 इंच अदरक कटी या पिसी हुई
- 4-6 लहसुन की कलियाँ, बारीक कटी हुई
- 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर
- 1/2 टेबल स्पून ताज़ी काली मिर्च पाउडर
- 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर
- 1 टेबल स्पून विनिगर
- करी पत्ता
- नमक स्वादानुसार
- 1 टेबल स्पून नारियल तेल

मछली को मैरीनेट करने के लिए

- 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर
- हल्दी पाउडर एक बड़ी चुटकी
- काली मिर्च पाउडर एक बड़ी चुटकी
- 1/2 टेबल स्पून नींबू जूस(ऐच्छिक)
- 1/2 टेबल स्पून नमक
- 1 टेबल स्पून नारियल तेल
- 1 बड़ा केले का पत्ता

तरीका

1. फिश को अच्छे से साफ़ कर के धो ले
2. केले के पत्तों को धोकर सुखा कर 10इंच के टुकड़ों में काट लें
3. फिर किसी कटोरे में फिश को डालें
4. मछली को कश्मीरी मिर्च पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, नींबू के रस और नमक के साथ मैरीनेट करें। 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख दें।
5. आधा छोटा चम्मच नारियल तेल के साथ एक पैन गरम करें, और मछली को एक तरफ हल्के से एक या दो मिनट तलें ।

6. आधा टीस्पून नारियल तेल लेकर दूसरी तरफ भी ऐसे ही तलें और एक तरफ रख दें।
7. प्याज को बारीक काट लें, अदरक, लहसुन और टमाटर को बारीक काट लें या कद्दूकस कर लें
8. एक दूसरे पैन में 1 टेबल स्पून नारियल का तेल गरम करें, उसमें करी पत्ता डालें।
9. प्याज़, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर दो मिनट तक भुनें। फिर कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएँ।
- 10.इसे तब तक भुनें जब तक कि टमाटर पूरी तरह पाक न जाएं और सभी मिक्स न हो जाएं। आग बंद कर दें और एक तरफ रख दें।
- 11.एक केले के पत्ते को स्टोव पर हल्का गर्म करें (यह केले के पत्ती के न टूटने के लिए किया जाता है और एक नॉनस्टिक प्रभाव भी देता है जो हमें इस करी के लिए चाहिए)।
- 12.फिर मेरिनेट फिश से एक एक फिश को टुकड़ों में काट ले । कट किये हुए केले के पत्ते के ऊपर आधा मसाला डाल दें फिर उसके ऊपर मछली रखें और करी पत्ते की दूसरी टहनी रखें। और फिर ऊपर से बचा हुआ मसाला डाल दें। चारों तरफ से मोड़ें और इसे एक पैकेट जैसा बना लें। अब इसे एक धागे से कसकर बांध
- 13.एक कड़ाही या तवा गरम करें जिसमें थोड़ा नारियल का तेल हो, पैकेट को ऊपर रखें और आग में हर तरफ 5 से 7 मिनट तक पकाएं।
- 14.यदि आवश्यक हो तो ऊपर से थोड़ा तेल छिड़कें और फिर दूसरी तरफ पलट दें, तेल पत्ती को तवे से न चिपकने में मदद करता है।
- 15.लगभग 5 से 7 मिनट का समय चाहिए। गरमागरम परोसें।

सिंधु ए एस
मुख्यालय



चेरत्तला केरल में मेगा सी फूड पार्क

चेरत्तला के पल्लिपुरम के औद्योगिक विकास केंद्र में मेगा सी फूड पार्क, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्र को एक नई गति देगा, जो कि कोविड महामारी के प्रकोप के बाद से गिरावट में है। अप्रैल-अगस्त की अवधि के दौरान समुद्री खाद्य के निर्यात में पिछले साल की तुलना में 23.96 फीसदी गिरावट आई है। निर्यात आय में भी 13.96\$ की गिरावट आई है। राज्य ने पूर्व-कोविड अवधि में समुद्री खाद्य निर्यात के माध्यम से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए थे। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, केरल से समुद्री खाद्य का निर्यात लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन था, जिससे 5,020.33 करोड़ रुपये की कमाई हुई। मेगा सी फूड पार्क के आने से समुद्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के जल्द ही विकास की राह पर लौटने की उम्मीद है। 68 एकड़ में बन रहे समुद्री खाद्य पार्क का निर्माण पूरा होने के करीब है। अगले चरण में, परियोजना का विस्तार अन्य 16 एकड़ के साथ किया जाएगा। फूड पार्क में फिलहाल तीन समुद्री खाद्य कंपनियों और एक पैकेजिंग यूनिट काम कर रही है। पार्क की जमीन उद्यमियों को 30 साल की लीज पर दी जाएगी। विभिन्न उद्यमियों द्वारा लगभग 28 भूखंडों का अधिग्रहण पहले ही

किया जा चुका है। पार्क के पूरा होने से 500 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, पार्क लगभग 3,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करेगा। पार्क में खाद्य प्रसंस्करण कार्यों और मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादन होगा। फूड पार्क के तीन घटक हैं - समुद्री खाद्य संग्रह, ग्रेडिंग, गुणवत्ता निरीक्षण, फ्रीजिंग यूनिट और कोल्ड स्टोर के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी); बंदरगाहों से समुद्री खाद्य छीलने, सफाई, छंटाई और बर्फ लगाने के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी); और संग्रह केंद्र (सीसी)। तोपुम्पडी, वायपिन और मुनंबम में पीपीसी को भी इससे जोड़ा जाएगा। सड़क, रेल, हवाई और बंदरगाह से फूड पार्क अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जिससे इसकी विपणन क्षमता बढ़ रही है। पार्क, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीज, डिबोनिंग सेंटर, ताजा पानी आदि जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 3,000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज, 10 मीट्रिक टन की क्षमता वाला एक डीप फ्रीजर, मछली का कांटा हटाने के लिए प्रति दिन 10 मीट्रिक टन क्षमता वाला एक डिबोनिंग केंद्र निर्माण के अंतिम चरण में है।

साभार :

'द हिंदु' : समाचार पत्र

KSIDC MEGA FOOD PARK

हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2020

इस वर्ष प्राधिकरण में 14 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 तक हिन्दी कार्यशाला एवं अखिल राजभाषा संगोष्ठी सहित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के साथ हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस दौरान निम्नलिखित हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:

1. आज का शब्द/वाक्य पर प्रतियोगिता
2. हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता
3. कंप्यूटर में हिन्दी टंकण प्रतियोगिता
4. सारांश लेखन प्रतियोगिता

दिनांक 22.12.2020 को राजभाषा समागम 2020 का आयोजन किया गया। इस दौरान हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं के निम्नलिखित विजेताओं को पुरस्कार/ गिफ्ट कूपन दिया गया :

1. कंप्यूटर में हिन्दी टंकण प्रतियोगिता

1. श्री प्रसन्नकुमार के वी, व. लिपिक - प्रथम
2. श्रीमती सुजा आर, व. लिपिक - द्वितीय
3. श्रीमती वीणा के पी, व. लेखाकार - तृतीय

2. सारांश लेखन प्रतियोगिता

1. श्रीमती शीतल पी एस, क. लिपिक - प्रथम
2. श्रीमती सुजा आर, व. लिपिक - द्वितीय
3. श्रीमती गीतु षण्मुखन, क. लिपिक - तृतीय

3. हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता

1. डॉ बिजी के बी, क.त.अ. - प्रथम
2. श्री प्रसन्नकुमार के वी, व. लिपिक - द्वितीय
3. श्रीमती शीतल पी एस, क. लिपिक - तृतीय

4. आज का शब्द/वाक्य पर प्रतियोगिता

1. श्री प्रसन्नकुमार के वी, व. लिपिक - प्रथम
2. श्रीमती शीतल पी एस, क. लिपिक - द्वितीय
3. श्री अनिल कुमार एम, क. लिपिक - तृतीय

राजभाषा समागम/हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण





समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
कोच्ची / KOCHI
രമുദ്ര ഉത്പാദ ന്യര്യാത വകാശനം
राजभाषा सम्मगम
RAJBHASHA SAMAGAM
2020





अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

आजकल हम लोग अलग-अलग विशेष दिन मनाते हैं। उस दिन में समारंभ करना बहुत ही साधारण है। सोशल मीडिया की वजह से इसका महत्व सभी लोगों को पता चल जाता है। क्या उसका असली उद्देश्य सफल होता है? अगर हर साल उस दिन हर साल हम कुछ नया कदम उठाएंगे तो बात जरूर बन जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं यही सोच रहा हूँ बहुत साल पहले दहेज लेने के खिलाफ कानून बनाए थे लेकिन आज भी शादी में दहेज न देना उतना कम नहीं हुआ है। महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले में ढेर सारे कानून बनने के बाद भी उसमें से कितने जुर्म कम हुए?

महबूबखान ने मदर इंडिया के पोस्टर पर हल चलाने वाली औरत दिखाई। लेकिन उसमें मां की कहानी गरीब औरत के संघर्ष की तो है साथ में महिला की

**मां, बहन, पत्नी, बेटी
जीवन का आधार,
ईश्वरीय उपहार।
महिला दिवस की
शुभकामनाएं!**

मानहानि करके समाज व्यवस्था बिगाड़ने वाले पुत्र को जान से मारने की सजा देने की भी है। 'निर्भया' जैसे भयानक हत्याकांड के बाद आज भी बलात्कार की घटनाएं किसी ना किसी गांव या शहर से सुनने को मिलती है।

जब एक मां अपने बलात्कारी बेटे के लिए राष्ट्रपति के पास अर्जी देती है या पत्नी पति को गर्लफ्रेंड के खून से बचाना चाहती है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है? जब जवान लड़की किसी शादीशुदा मर्द के साथ संबंध रखती है या किसी तलाक वाले पुरुष के साथ शादी करती है तो मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ व्यक्तिगत बात है क्योंकि जब तक एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति संवेदनशील ना रहे, उसकी असली स्थिति समझकर सम्मान करें, तब भी समाज में ऐसे घटना कम होने में मदद होगी।

शहरों में बड़े मॉल है, नेशनल हाईवे जुड़े हैं, तेज रफ्तार वाली ट्रेन चल रही है, डायरेक्ट स्थान के लिए हवाई जहाज उड़ रहे हैं। यह सब होने से देश विकसित हुआ ऐसा अगर किसी ने माना तो यह गलत है।

जब तक देश के हर गांव में पक्की सड़क, मकान, बिजली और पानी व्यवस्था नहीं होती तब तक यह दावा गलत है कि देश विकसित हुआ। महिलाओं की प्रगति के लिए काम हो रहा है, प्रयास जारी है। महिला आरक्षण धीरे-धीरे सभी क्षेत्र में लागू किए जा रहे हैं। उनका प्रतिशत भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार भी सिर्फ ट्रेन, बस में ही नहीं हर जगह महिला सुरक्षित रहें ऐसा प्रयास जारी है। स्त्री के आर्थिक स्वावलंबन के नई योजनाएं भी बन

रही है लेकिन जब तक देश की नारी शिक्षित सुरक्षित और सम्मानित नहीं होती तब तक महिलाओं का संपूर्ण विकास हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा।

झांसी की रानी तो सबको मालूम है। लेकिन शिवाजी महाराज जिन्हें मैं सिर्फ मराठी राजा न मानकर हिंदुस्तान का बुद्धिमान और शूरवीर राजा मानता हूं उन्हें संस्कार देने वाली जिजामाता उनको भी उतना ही याद करना करता हूं। सावित्रीबाई फुले, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, डॉक्टर आनंदी जोशी, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला और बहुत सारी महिलाओं ने अलग-अलग स्थान में भारत का नाम रोशन किया है, नई दिशा दी है और महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है।

मैं समझता हूं कि स्त्री शिक्षण को हमें और मजबूत करना चाहिए। जब तक हर लड़की पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं करती तब तक ना उसका विकास होगा, ना उसके घर का और ना ही आने वाली पीढ़ी का। मुझे गर्व है कि सन 1921 में मेरी दादी लीलावती शिरोडकर (दुर्गी वेरनेकर, अवरसा, कारवार तालुका, कर्नाटक) गांव की मैट्रिक पास करने वाली पहली लड़की थी। शिक्षा लेकर नौकरी करना अच्छी बात है लेकिन हमारे समाज में और बहुत सारी महिलाएं हैं जो खुद उच्च शिक्षित होते हुए सिर्फ नौकरी नहीं करती बल्कि दूसरी महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त करके देने में मदद करती हैं, उनका विकास करने का समाज कार्य करते हैं। ऐसी सभी महिलाओं को मैं आज 8 मार्च 2021 के इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभेच्छा देना चाहता हूं।

शशेंद्र एम. शिरोडकर
कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी
एमपीडा, एस.आर.ओ, पोरबंदर





हिन्दी में ए+ ग्रेड प्राप्त एमपीईडीए के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहन

2018-2019 एवं 2019-2020 अध्ययन वर्ष में आयोजित एसएसएलसी, सीबीएसई, आईसीएसई 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में हिन्दी में ए+ ग्रेड प्राप्त एमपीईडीए के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।



10 वीं कक्षा 2018-2019

कुमारी तन्वी शशिकांत पडवल, सुपुत्री
श्री शशिकांत जी पडवल,
तकनीकी सहायक, क्षे.प्र. पनवेल



10 वीं कक्षा 2019-2020

कुमारी टी.आर.कृष्णा, सुपुत्री
श्री टी.वी.रवीन्द्रन, कनिष्ठ अधीक्षक,
प्रशा.अनुभाग, मुख्यालय, कोच्ची

क्या खूब कहा....

- भावनाएँ ही तो है, जो दूर रहकर भी अपनों को नज़दीकियों का एहसास कराती है, वर्ना दूरी तो दोनों आँखों के बीच भी है ।
- संबंधों का पौधा जब भी लगाओ, जमीन को भी परख लेना । क्योंकि सभी मिट्टी में रिश्तों को उपजाऊ बनाने की आदत नहीं होती ।
- दुनिया का सबसे मुश्किल काम , अपनों को अपनों में ढूँढना है ।
- बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ, कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है ।
- आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं, औरआज कभी जाता नहीं
- वक्त , ख्वाहिशे और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होती है जिसे हम उतार कर रख भी दे , तो भी चलती रहती है
- माना की वक्त सता रहा है मगर कैसे जीना है , वो भी बता रहा है

मृणालिनी प आरेकर
व.हिन्दी अनुवादक,
क्षे.प्र. पनवेल द्वारा संकलित



टेलीविज़न: कितना उपयोगी ?

मनुष्य जब अपने दैनिक कार्यों से थक जाता है, तो उसे एक साधन की आवश्यकता पड़ती है, उसे शांति का अनुभव करा सके, उसका मनोरंजन करने में सक्षम हो। दूरदर्शन इन सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भली-भांति करता है।

दूरदर्शन से लाभ:

दूरदर्शन हमारे जीवन में एकाकीपन का साथी है। हमारे ज्ञान-वृद्धि का साधन भी है। इसके नए-नए चैनल नित नवीन जानकारियां देकर प्रबुद्ध बनाते हैं। हमें देश-विदेश के समाचार अन्य देशों की संस्कृति तथा गतिविधियों को घर बैठे झलक मिल जाती हैं। दूरदर्शन समाज को नई दिशा भी प्रदान करता है। दहेज़ प्रथा, छु-आछूत, भ्रूणहत्या, सांप्रदायिकता जैसी बुराइयां जब कार्यक्रमों के माध्यम से जन-जन तक पहुंच जाती हैं।

दूरदर्शन का दुष्प्रभाव:

दूरदर्शन से जहां इतने अधिक लाभ हैं, वहीं इसकी कुछ हानियां भी सामने आ रही हैं। अधिक देर तक दूरदर्शन देखते रहने से आँखों की ज्योति पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है। आजकल अनेक चैनलों के आ जाने से अनेक ऐसे कार्यक्रम इस पर दिखाए जाते हैं, जो युवक-युवतियों के चारित्रिक पतन का कारण बनते हैं। अनेक और नृत्य के नाम पर अश्लील तथा कामोद्दीपक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, जिनका तरुण वर्ग पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

दूरदर्शन विज्ञान का अनुपम वरदान है, जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने, अंधविश्वासों को मिटाने तथा जन-जागरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। दूरदर्शन ज्ञानवर्धन का सर्वोत्कृष्ट साधन है। इस पर दिखाए जानेवाले केवल उन्हीं कार्यक्रमों को प्रसारित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो उत्कृष्ट, सोद्देश्य तथा संस्कारक्षम हों।

कुमारी योगश्री
सुपुत्री श्रीमती इन्दना श्रीलक्ष्मी
मुख्यालय



चित्र गैलरी



कु. निला,
सुपुत्री श्रीमती शिबि मोहनन,
व. लिपिक, मुख्यालय



कु. श्रीन्यका,
सुपुत्री श्रीमती शिबि मोहनन,
व. लिपिक, मुख्यालय

